



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना



संघ सरकार
वस्त्र मंत्रालय
2015 की प्रतिवेदन संख्या 52
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

Hkkjr ds fu; æd&egkys[kki jh{kd dk
ifronu

i kS| kf xdh mUu; u fuf/k ; kst uk

I ðk I j dkj
oL= ea=ky;
2015 dh ifronu I a[; k 52
½fu"iknu ys[kki jh{kkl½

विषय सारिणी

पैरा संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सारांश	iii – viii
अध्याय 1 – प्रस्तावना		
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	टफ्स की प्रमुख विशेषताएँ	1
1.3	योजना हेतु संगठनात्मक व्यवस्था	4
1.4	योजना में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका	5
1.5	टफ्स राजसहायता को निर्गत करने हेतु तंत्र	6
1.6	योजना की निगरानी	7
1.7	वित्तीय लागत	8
अध्याय 2 – लेखापरीक्षा रूपरेखा		
2.1	लेखापरीक्षा अधिदेश	9
2.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	9
2.3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और विस्तार	9
2.4	लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्त्रोत	10
2.5	लेखापरीक्षा पद्धति एवं नमूने	10
2.6	अभिस्वीकृति	11
अध्याय 3 – लेखापरीक्षा निष्कर्ष		
3.1	आयोजना	12
3.2	कार्यान्वयन	18
3.3	निगरानी एवं मूल्यांकन	24
अध्याय 4 – उपसंहार एवं अनुशंसाएँ		
4.1	उपसंहार	31
4.2	अनुशंसाएँ	32
अनुलग्नक		
	अनुलग्नक 1 से 9	ए 1 – ए 13
	संक्षेपाक्षर	ए 14

प्राक्कथन

भा

रत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इसमें वस्त्र मंत्रालय की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं।

भारत सरकार (जी ओ आई) ने भारतीय वस्त्र उद्योग, जिसने औद्योगिक उत्पादन, रोज़गार एवं निर्यातों में उसके द्वारा दिए गए योगदान के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अनुपम रथान प्राप्त किया, में प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से आधुनिकीकरण प्रयासों हेतु एक केन्द्र बिन्दु उपलब्ध कराने के लिए 1999–2000 में 'टफ्स' को आरंभ किया। योजना को बाद में 2007 (रूपान्तरित टफ्स/एम–टफ्स), 2011 (पुनर्गठित टफ्स/आर–टफ्स) तथा 2013 (संशोधित पुनर्गठित टफ्स/आर आर–टफ्स) में संशोधित किया गया।

योजना को जी ओ आई द्वारा निश्चित किए गए वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया गया था तथा यह ब्याज प्रतिपूर्ति, पूँजी राजसहायता एवं मार्जिन मनी राजसहायता के रूप में वस्त्र इकाईयों को लाभ प्रदान कराने हेतु एक प्रतिपूर्ति योजना थी। वस्त्र मंत्रालय ने 01 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2014 के दौरान टफ्स हेतु राजसहायता के रूप में ₹ 18,580.45 करोड़ निर्गत किये।

योजना की प्रकृति, पर्याप्त वित्तीय लागत तथा लाभार्थियों की बड़ी संख्या से यह एक महत्वाकांक्षी योजना बन गई थी। योजना के उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है इस आश्वासन को प्राप्त करने हेतु इस योजना की लेखापरीक्षा की गई।

dk; bkjh l kjka k

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने 1999–2000 में भारतीय वस्त्र उद्योग में, जिसने औद्योगिक उत्पादन, रोज़गार और निर्यात के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अनुपम स्थान प्राप्त किया, प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिए एक केन्द्र बिन्दु प्रदान करने के लिए “टफस” शुरू की। इसके बाद योजना को 2007 (एम–टफस),¹ 2011 (आर–टफस)² और 2013 (आर.आर–टफस)³ में संशोधित किया गया।

भारत सरकार के स्तर पर, वस्त्र मंत्रालय इस योजना के प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी था। मंत्रालय ने टफस के कार्यान्वयन हेतु वस्त्र आयुक्त, मुम्बई (टीएक्ससी) के कार्यालय को इसकी नोडल एजेंसी बनाया। योजना उन वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यान्वित होती थी जो कि भारत सरकार द्वारा चिह्नित किए गये थे और यह योजना एक प्रतिपूर्ति योजना थी जो कि वस्त्र इकाईयों को ब्याज प्रतिपूर्ति, पूँजी राजसहायता और मार्जिन मनी राजसहायता के रूप में लाभ प्रदान करती थी। इस योजना के लिए वित्तीय संस्थाओं (एफआई) द्वारा संसाधित किये गये सभी दावों को वस्त्र आयुक्त के माध्यम से आगे भेजा जाता है। वस्त्र आयुक्त इन दावों को समेकित करता है और स्वीकृति और निधि निर्गमन के लिए मंत्रालय को आगे भेजता है। वस्त्र मंत्रालय ने 01 अप्रैल 1999 से लेकर 31 मार्च 2014 तक ₹ 18,580.45 करोड़ टफस राजसहायता के रूप में निर्गमित किये।

वस्त्र आयुक्त, मुम्बई द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑकड़ों के अनुसार 22,998 लाभार्थी थे जिनके ऋण 01 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2014 के बीच स्वीकृत हुए। लेखापरीक्षा ने 3,231 नमूनों का चयन इन लाभार्थी इकाईयों से किया। लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूने लाभार्थियों के एम–टफस और आर–टफस खातों से संबंधित थे। निष्पादन लेखापरीक्षा इस आकलन के लिए किया गया कि दावों का प्रबंधन प्रासंगिक दिशा–निर्देशों और आवश्यकताओं के अनुरूप था या नहीं। निष्पादन लेखापरीक्षा का समय 01 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2014 था जिसमें सात प्रमुख राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु को शामिल किया गया था।

महत्वपूर्ण बिन्दु

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित व्यापक शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

- (i) आयोजना (ii) कार्यान्वयन और (iii) निगरानी एवं मूल्यांकन

¹ रूपांतरित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

² पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

³ संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

आयोजना

आधारभूत आँकड़ों का अभाव

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि मंत्रालय में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जो कि:

- योजना को 2007 (एम-टफ्स के लिये) और 2011 (आर-टफ्स के लिये) में निरंतरता के लिए प्रस्तावित करते समय, वस्त्र उद्योग में मशीनरी के अप्रचलन की समस्या के परिमाण को चित्रित करने वाले आधारभूत आँकड़ों की उपलब्धता को दर्शाता हो;
- योजना के विभिन्न चरणों अर्थात् 2007 से पूर्व की योजना, एम-टफ्स तथा आर-टफ्स के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले, पहचाने/मापदंडित किये गए उन्नयन के उचित स्तर को दर्शाता हो; तथा
- योजना के विभिन्न चरणों में हासिल की गई आधुनिकीकरण की मात्रा एवं स्तर को दर्शाता हो।

(पैरा 3.1.1)

XI पंचवर्षीय योजना में पहचाने गये लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

- ₹ 1,50,600 करोड़ के निवेश लक्ष्य की तुलना में XI पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल ₹ 1,31,228 करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ। निवेश आकर्षित करने में यह कमी वित्तीय आवंटन में ₹ 10,273 करोड़ से ₹ 15,404 करोड़ की वृद्धि के बावजूद थी।
- एम-टफ्स के लिए योजना आवंटन और टफ्स दावों का प्रसंस्करण, खण्डवार नहीं किया जा रहा था। योजना में खण्डवार निगरानी का कोई प्रावधान नहीं था।

(पैरा 3.1.2)

प्रतिबद्ध देनदारियाँ⁴

प्रतिबद्ध देनदारी (एम-टफ्स) के अविश्वसनीय अनुमान

XI पंचवर्षीय योजना के लिए निधि की आवश्यकताओं के संदर्भ में अपने मामले को प्रस्तुत करते समय मंत्रालय ने एम-टफ्स की व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) के लिए ज्ञापन में, ₹ 2,761.10 करोड़ की राशि की प्रतिबद्ध देनदारी दर्शाई। मंत्रालय के पास इस ₹ 2,761.10 करोड़ की प्रतिबद्ध देनदारी के संबंध में न तो कोई लाभार्थीवार और बैंकवार ब्यौरा था और न ही इस प्रतिबद्ध देनदारी के भुगतान का कोई विवरण था।

(पैरा 3.1.3.1)

⁴ सामान्यतः, टफ्स के अंतर्गत वस्त्र परियोजनाएं अपने ऋण वापिसी के लिए 10 वर्षों तक राजसहायता प्राप्त करने योग्य थे। मंत्रालय अधिकतम 10 वर्षों के लिये टफ्स योग्य राजसहायता वितरण के लिये उत्तरदायी था जिसको मंत्रालय प्रतिबद्ध देनदारियाँ कहता है।

प्रतिबद्ध देनदारी (आर-टफ्स) के अविश्वसनीय अनुमान

- मंत्रालय पूरी तरह से वित्तीय संस्थाओं के डाटा पर निर्भर था जो कि लगातार बदल रहा था। परिणामतः मंत्रालय XI पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिबद्ध देनदारियों का अनुमान नहीं लगा पाया। बजट आवंटन, जो कि पूरी XI पंचवर्षीय योजना के लिए था, 28 जून 2010 तक लगभग खत्म हो गया जिसके परिणामस्वरूप योजना 29 जून 2010 से 27 अप्रैल 2011 तक रुकी रही थी।
- प्रतिबद्ध देनदारियों के आँकड़ों को अंतिम रूप देने के लिए, जैसा कि ई.एफ.सी. द्वारा अनुशंसित था, वस्त्र आयुक्त ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत डाटा को समेकित किया और XI पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2012 तक ₹ 5,432 करोड़ की प्रतिबद्ध देनदारियों तक पहुँचे। तथापि, वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिबद्ध देनदारियों की राशि की सटीकता पर आश्वासन पाने के लिए कोई तंत्र होना प्रतीत नहीं होता है।
- लेखापरीक्षा ने यह पाया कि मंत्रालय के पास न तो ₹ 5,432 करोड़ की इन अनुमोदित प्रतिबद्ध देनदारियों का लाभार्थी—वार विवरण था और न ही इन देनदारियों के संवितरण का विवरण था।

(पैरा 3.1.3.1)

अनुशंसाएँ:

1. भविष्य में इस योजना की रूपरेखा तैयार करते समय मंत्रालय को उद्योग में अप्रचलन की समस्या के परिमाण का खण्ड—वार मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिये और प्राप्त किये जाने वाले मापदण्डों को स्थापित करना चाहिये।
2. मंत्रालय योजना की खण्ड—वार निगरानी पर विचार करे, जिससे प्रत्येक खण्ड की प्रगति पर पैनी नजर रखी जा सके।
3. मंत्रालय को लाभार्थी—वार प्रतिबद्ध देनदारियों का अपना डाटा रखना चाहिये।

कार्यान्वयन

- अयोग्य लाभार्थियों को राजसहायता प्रदान करना (छ: राज्यों में 129 मामलों में ₹ 46.96 करोड़)।
(पैरा 3.2.1)
- अयोग्य निवेशों को राजसहायता प्रदान करना (सात राज्यों में 193 मामलों में ₹ 52.87 करोड़)।
(पैरा 3.2.2)
- लाभार्थियों को अधिक भुगतान (सात राज्यों में 40 मामलों में ₹ 6.42 करोड़)।
(पैरा 3.2.3)
- राजसहायता जमा करने में देरी (छ: राज्यों में 172 लाभार्थियों के खातों में एक से लेकर 1509 दिनों की देरी)।
(पैरा 3.2.4)
- ब्याज न देने वाले खातों में निधि रखना (गुजरात में पाँच वित्तीय संस्थानों की सात संवितरण शाखाओं द्वारा ₹ 4.77 करोड़ की राशि को ब्याज न देने वाले खातों में रखना)।
(पैरा 3.2.5)
- टप्स के एक प्रतिपूर्ति योजना होने के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2009–10 में, ₹ 121.45 करोड़ की राशि एफ आई द्वारा अधिक दावा की गई राजसहायता या अयोग्य लाभार्थियों को राजसहायता देने के कारण वापस की गई। ऐसे दृष्टान्त अन्य वित्तीय वर्षों में भी देखे गए, जो कि एफ आई द्वारा लाभार्थियों के दावों के सही संवेदन में कमी को दर्शाता है।
(पैरा 3.2.6)

अनुशंसाएँ:

4. मंत्रालय को भविष्य में उपरोक्त कार्यान्वयन संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए एफ आई को अपनी सम्यक उद्यम व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश देना चाहिए।
5. मंत्रालय को अपनी ओर से निरीक्षण कराने पर विचार करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एफ आई राजसहायता योग्य लाभार्थियों/निवेशों को देने हेतु आवश्यक सम्यक उद्यम का पालन कर रहे हैं।

निगरानी एवं मूल्यांकन

योजना के कार्यान्वयन की न्यूनतम निगरानी

दावों की संसाधन प्रणाली में मंत्रालय द्वारा एफ आई के कार्य की निगरानी न्यूनतम थी। निगरानी पूर्ण रूप से एफ आई के लेखापरीक्षा संगठन और उसकी निगरानी की प्रक्रिया पर निर्भर करती है।

(पैरा 3.3.1)

एफ आई द्वारा आदेशों के अनुपालन के परीक्षण का तंत्र

➤ टपस राजसहायता के स्वीकृति पत्रों के मुताबिक एफ आई/बैंक निम्न करेंगे:

- भारत सरकार से प्राप्त निधियों के सहायक खातों का रखरखाव करना; तथा
- लाभार्थियों के विस्तृत वर्णन का रजिस्टर रखना।

यह भी निश्चित किया गया कि एफ.आई. को दी गई राशि का भारत सरकार (मंत्रालय)/ मुख्य लेखा नियंत्रक (सी.सी.ए.) के द्वारा, जब भी आवश्यकता हो, निरीक्षण किया जा सकता है।

➤ लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014 से पूर्व, जाँच की प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं की गई।

(पैरा 3.3.2.1)

ब्लैक आउट अवधि के मामलों का सूची-II में समावेशन

परियोजनाएँ/टर्म लोन जो ब्लैक आउट अवधि के दौरान (29 जून 2010 से 27 अप्रैल 2011) स्वीकृत हुए हैं, टपस के लाभों के लिए पात्र नहीं थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सूची-II, जिसमें केवल उन मामलों को सम्मिलित किया जाना था जिनमें टपस परियोजना के लिए योग्यता की जाँच और संवीक्षा तो पूर्ण हो गई थी परंतु टपस राजसहायता की किश्तें जारी नहीं हुई थी; में 19 मामले ब्लैकआउट अवधि से संबंधित थे।

(पैरा 3.3.3)

प्रतिबद्धताओं का पालन न करना

जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो योजना की मध्यावधि सुधार और सरकारी संकल्पों (जी आर) एवं योजना के मूल्यांकन और स्वीकृति संबंधित दस्तावेजों में दर्शित प्रतिबद्धताओं का पालन, मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्य हैं। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिए गए विविध दृष्टान्तों में मंत्रालय ने अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया।

(पैरा 3.3.4)

अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (आई एम एस सी) की निगरानी की कमियाँ

- लेखापरीक्षा ने पाया कि एम टफ्स के प्रचालन के 39 महीनों के दौरान आई एम एस सी की केवल दो बैठके हुई।
- आई एम एस सी को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के मानक तैयार करने थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई भी अलग से मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(पैरा 3.3.5)

तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टी ए एम सी) की निगरानी की कमियाँ

- लेखापरीक्षा ने पाया कि एम टफ्स के प्रचालन के 39 महीनों के दौरान जी आर के प्रावधानों के अनुसार, 13 बैठकों के स्थान पर, केवल पाँच बैठकें आयोजित की गई।
- आर-टफ्स के जी आर के अनुसार, टी ए एम सी को लघु स्तर के वस्त्र उद्योग तथा जूट इकाईयों हेतु टफ्स के अधीन 15 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी राजसहायता (एम एस) की प्रगति की निगरानी करनी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न टी ए एम सी बैठकों के कार्यवृत्त ने लघु वस्त्र उद्योग एवं जूट इकाईयों हेतु टफ्स के अधीन 15 प्रतिशत की दर पर एम एस की प्रगति की निगरानी को इंगित नहीं किया।

(पैरा 3.3.6)

अनुशंसा:

6. मंत्रालय को अपने निगरानी तंत्र को सक्रिय करना चाहिए ताकि यदि आवश्यकता हो तो मध्यावधि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

अध्याय 1 — प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

भारतीय वस्त्र उद्योग ने औद्योगिक उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात में दिये गए योगदान के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुपम स्थान प्राप्त किया। मजबूत फाइबर तथा मजबूत उत्पादन आधार के बावजूद, विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से, अत्यंत अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन की बड़े पैमाने पर मितव्ययता¹ के अभाव के कारण, यह उद्योग प्रभावित रहा।

अतः सरकार द्वारा यह अनुभूति की गई कि उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से आधुनिकीकरण प्रयासों हेतु केन्द्र बिन्दु उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय एवं समयबद्ध प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टप्स) जिसे इसके आगे 'योजना' कहा गया है, को क्रियान्वित किया जाए। वस्तुतः वस्त्र उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण हेतु योजना को वस्त्र मंत्रालय, जिसे इसके आगे 'मंत्रालय' कहा गया, द्वारा 1999–2000 में प्रारंभ किया गया था। योजना को बाद में 2007, 2011 तथा 2013 में संशोधित किया गया था। मंत्रालय ने 1999–2000 से 2013–2014 के दौरान टप्स हेतु ₹ 18,580.45² करोड़ राजसहायता के रूप में जारी किए।

1.2 टप्स की प्रमुख विशेषताएं

1.2.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

योजना का आरंभ 1999 में वस्त्र एवं जूट उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों³ / खंडों⁴ में निवेशों को उत्प्रेरित करने हेतु किया गया था जिसके तहत मंत्रालय द्वारा निर्धारित योजना योग्य मशीनरी/सामानों⁵ की खरीद पर अनुमोदित नोडल बैंकों एवं नोडल संस्थाओं, जिनको इसके आगे वित्तीय संस्थान कहा गया है, से प्राप्त ऋणों पर ब्याज प्रतिपूर्ति (आई आर)⁶ / पूंजी राजसहायता (सी एस)⁷ का प्रावधान था। विभिन्न क्षेत्रों/खंडों हेतु निर्धारित दरों पर अनुमोदित वित्तीय संस्थानों द्वारा वास्तविक रूप से लिए गए ब्याज पर ब्याज प्रतिपूर्ति तथा पूंजी राजसहायता के साथ योजना को कार्यान्वित किया गया। योग्य मशीनरी/सामानों के विवरण को मंत्रालय द्वारा सरकारी संकल्पों (जी आर) के माध्यम से तथा वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,

¹ जिसके द्वारा उत्पादन की मात्रा बढ़ने से उत्पादन की औसत लागत गिर जाती है।

² अप्रैल 1999 से मार्च 2007 तक ₹ 2,315.18 करोड़ निर्गमित किये तथा अप्रैल 2007 से मार्च 2014 तक ₹ 16,265.27 करोड़ निर्गमित किये।

³ लद्यु उद्योग (एसएसआई) तथा गैर-एसएसआई

⁴ कताई, बुनाई, निटिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग आदि

⁵ कैपिटिव उर्जा संयंत्र, एफयुलैट ट्रीटमैट प्लांट, ऊर्जा बचत यंत्र आदि

⁶ टप्स योग्य वस्तुओं के क्रय हेतु लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋण पर अनुमोदित वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा प्रभारित ब्याज का तयबद्ध भाग

⁷ मशीनरी की लागत के प्रतिशत के रूप में अदा की गई राजसहायता तथा जिसके लिए एसएसआई एवं गैर-एसएसआई दानों इकाईयाँ योग्य हैं।

मुम्बई, जिसे इसके आगे 'वस्त्र आयुक्त'⁸ कहा गया है, द्वारा जारी अनुगामी परिपत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

योजना को प्रारंभ में 01 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2004 तक पाँच वर्षों की अवधि हेतु अनुमोदित किया गया था जिसे बाद में 31 मार्च 2007 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्षों की अधिकतम अवधि हेतु पांच प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देना योजना की प्रमुख विशेषता थी। चूंकि, मंत्रालय 10 वर्षों की अधिकतम अवधि हेतु टफस योग्य राजसहायता वितरण का उत्तरदायित्व लेता है इसलिए इसे मंत्रालय द्वारा 'प्रतिबद्ध देनदारी' कहा गया है।

सरकार ने पाया कि योजना से वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न खंडों को अनेक लाभ हुए। वस्त्र क्षेत्र के कताई एवं मिश्रित खंडों को अधिकतम लाभ हुआ जबकि प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग, विद्युतकरघा आदि जैसे खंड जो कि वस्त्र वेल्यू चेन की कमजोर कड़ियाँ थीं ने आधुनिकीकरण की क्षमता को प्राप्त नहीं किया।

1.2.2 रूपांतरित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एम–टफस)

कमजोर क्षेत्रों को योजना का लाभ देने हेतु तथा गारमेंटिंग व तकनीकी वस्त्रों⁹ के सामर्थ्य को पहचानने पर, सरकार ने XI पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में योजना को जारी रखने के लिए विद्यमान योजना को रूपांतरित किया। एम–टफस में गारमेंटिंग तथा तकनीकी वस्त्र खंडों को 10 प्रतिशत सीएस (5 प्रतिशत आई आर के अलावा) के रूप में अतिरिक्त समर्थन दिया गया। इसके अतिरिक्त, विद्यमान योजना में कुछ परिवर्तन¹⁰ भी किये गए तथा रूपांतरित योजना (एम–टफस) में एक अन्य घटक अर्थात् मार्जिन मनी राजसहायता (एम एम एस)¹¹ को लाया गया। एम–टफस 01 अप्रैल 2007 से 28 जून 2010 तक की अवधि के दौरान संचालन में रही।

1.2.3 'ब्लैक आउट' अवधि

मंत्रालय के निर्देश पर, जुलाई 2010 में मैसर्स क्रीसील रिसर्च द्वारा एम–टफस का मूल्यांकन अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रकट हुआ कि सभी खंडों में लाभ अभी भी एक समान नहीं थे जिसमें से प्रोसेसिंग एवं विद्युतकरघा खंड प्रमुख चिंता के क्षेत्र के रूप में उभर कर आए। मूल्यांकन अध्ययन ने टफस को पूर्ण रूप से पुनर्गठित करने की अनुशंसा की। तदनुसार, सरकार ने योजना को पुनर्गठित करने का नीतिगत निर्णय लिया। अतः एम–टफस में परिवर्तन के अनुमोदित होने तक उसे बंद कर दिया गया तथा योजना के अंतर्गत नई स्वीकृतियों को 29 जून 2010 से जारी करने में रोक दिया गया।

⁸ वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय।

⁹ तकनीकी वस्त्र क्रियात्मक वस्त्र हैं जो विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं जिसमें ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग तथा निर्माण, कृषि स्वास्थ्य, उद्योग सुरक्षा, व्यक्तिगत बचाव आदि।

¹⁰ कताई मशीनरी पर आईआर की दर 5 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत हो गई, जबकि विद्यमान योजना के अंतर्गत अन्य सभी खंडों को 5 प्रतिशत आईआर मिलती जारी रही, कर व शुल्कों को छोड़कर सीएस एवं आईआर को केवल मशीनों के मूलभूत मूल्य पर दिया जाएगा।

¹¹ मशीनरी की लागत के प्रतिशत के रूप में दी गई राजसहायता तथा जिसके लिए केवल एसएसआई इकाईयाँ ही योग्य हैं।

योजना 27 अप्रैल 2011 तक बंद रही। इस 10 माह की अवधि को 'ब्लैक आउट' अवधि के रूप में जाना जाता है।

1.2.4 पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आर-टफस)

जैसा कि उपरोक्त पैरा 1.2.3 में उल्लिखित है, विद्यमान योजना (एम-टफस) को नई स्वीकृतियों हेतु ₹ 1,972 करोड़ की समग्र राजसहायता कैप¹² के साथ पुनर्गठित किया गया, इस पुनर्गठित योजना अर्थात् आर-टफस की अवधि 28 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012¹³ तक थी। टफस लाभों में सभी खंडों को उनका देय हिस्सा मिलने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न खंडों हेतु राजसहायता का हिस्सा अर्थात् कताई हेतु 26 प्रतिशत, बुनाई हेतु 13 प्रतिशत, प्रोसेसिंग हेतु 21 प्रतिशत, गारमेंटिंग हेतु 8 प्रतिशत तथा अन्य हेतु 32 प्रतिशत निर्धारित किया गया। आर-टफस की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

- 5 प्रतिशत आई आर प्रदान करना, हालाँकि स्टैंड अलोन इकाइयों में कताई मशीनरियों के लिए आई आर 4 प्रतिशत रखी गई;
- लाभार्थियों के टफस पात्र ऋण की पुनर्भुगतान अवधि को 10 वर्ष (एम-टफस) से घटाकर 7 वर्ष किया गया; तथा
- एम एम एस हेतु विद्युतकरघा खंड के लिए पूंजी सीमा को बढ़ा दिया गया।

आर-टफस योजना को XII पंचवर्षीय¹⁴ योजना के पहले साल अर्थात् 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया।

1.2.5 संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआर-टफस)

सरकार ने वस्त्र तथा जूट उद्योगों हेतु 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2017 तक संशोधित पुनर्गठित योजना (आरआर-टफस) के रूप में योजना को आगे जारी रखने का निर्णय लिया। चूँकि इस योजना में मार्च 2014 तक कुछ भी राजसहायता निर्गत नहीं की गई इसलिए इस योजना को लेखापरीक्षा हेतु नहीं चुना गया।

एम-टफस एवं आर-टफस की प्रमुख विशेषताएं **अनुलग्नक 1** में दी गई हैं।

¹² विद्यमान योजना के ओपन एंडेड प्रकृति की समस्या के समाधान हेतु नई स्वीकृतियों के लिए समग्र राजसहायता कैप को रखने का निर्णय लिया क्योंकि भविष्य की प्रतिबद्ध देनदारी को नियन्त्रित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं था।


¹³ जिसको आगे 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया था।

¹⁴ 2012–2017

1.3 योजना हेतु संगठनात्मक व्यवस्था

योजना के आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी हेतु संगठनात्मक व्यवस्था को चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1



1.4 योजना में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

1.4.1 वस्त्र मंत्रालय

योजना के कार्यान्वयन हेतु वस्त्र मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है। यह नीतियों को निरूपित करता है, स्वीकृति जारी करता है, राजसहायता निर्गत करता है तथा योजना की निगरानी करता है।

1.4.2 कार्यालय वस्त्र आयुक्त (वस्त्र आयुक्त)

वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय के प्रधान तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय की विभिन्न विकासात्मक तथा प्रोत्साहनात्मक योजनाओं को कार्यान्वित तथा निगरानी भी करता है। टप्स को कार्यान्वित करने हेतु यह नोडल एजेन्सी है। वित्तीय संस्थानों द्वारा संसाधित सभी दावों (अर्थात् आईआर, सीएस तथा एमएमएस) वस्त्र आयुक्त के माध्यम से भेजे जाते हैं। स्वीकृति को जारी करने तथा निधियों को निर्गत करने के लिए वस्त्र आयुक्त इन दावों को एकत्र करके मंत्रालय को अग्रेषित करता है। एम एस मामलों के संबंध में जहाँ लाभार्थी सीधे वस्त्र आयुक्त के पास पहुँचते हैं, वहाँ भी यह उनके दावों को संसाधित (एम-टप्स एवं आर-टप्स) कर, स्वीकृति जारी करता है तथा राजसहायता को निर्गत करता है।

1.4.3 वित्तीय संस्थान : नोडल एजेन्सियाँ तथा नोडल बैंक

नोडल एजेन्सी परियोजना को वित्त पोषित करती है, टप्स के दृष्टिकोण से मामलों की योग्यता की जाँच करती है तथा योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी इकाईयों तथा मंत्रालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। विभिन्न खंडों हेतु योजना के अधीन अनुमोदित नोडल एजेन्सियाँ निम्नानुसार हैं:

खंड	नोडल एजेन्सी
वस्त्र उद्योग (लद्यु उद्योग क्षेत्र को छोड़कर)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई)
लद्यु उद्योग (एसएसआई) वस्त्र क्षेत्र	भारतीय लद्यु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई)
जूट उद्योग	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई)


नोडल एजेन्सियाँ ऋण की स्वीकृति तथा वितरण हेतु योजना में अन्य संस्थानों/राज्य वित्तीय निगम/राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों को भी बेहतर पहुँच के उद्देश्य से नियुक्त करती है।

उपरोक्त तीन नोडल एजेंसियों के अलावा, योजना के अधीन 36 बैंकों (अनुलग्नक 2 में वर्णित) को भी नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया गया। नोडल बैंक योग्यता को निर्धारित करते हैं तथा उनके द्वारा वित्त पोषित सभी मामलों के संदर्भ में योजना लाभ को निर्गत करते हैं।

1.5 टफ्स राजसहायता को निर्गत करने हेतु तंत्र

1.5.1 योजना के अन्तर्गत राजसहायता को निर्गत करने हेतु तंत्र निम्नानुसार है:

चित्र 2



1.5.2 स्वीकृति को जारी करने तथा राजसहायता को निर्गत करने हेतु शर्तें:

योजना निम्न शर्तों को निर्धारित करती है जिसे मंत्रालय द्वारा स्वीकृति जारी करने तथा राजसहायता को निर्गत करने से पहले एफ.आई द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है:

- एफ आई द्वारा मंत्रालय को उनके अगले दावों को प्रस्तुत करने से पहले निर्धारित प्रारूप में यूसी को प्रस्तुत करना;
- वस्त्र आयुक्त के द्वारा निर्धारित प्रारूप में एफ आई द्वारा लाभार्थियों के यूनिट-वार ऑकड़ों को प्रस्तुत करना;
- योजना के अंतर्गत निधि प्राप्त करने के लिए सभी एफआई द्वारा पृथक बैंक खातों का रखना;
- एफ आई के पास उपलब्ध बकाया राशि को दर्शाना और उस बकाया राशि पर उपार्जित ब्याज को इस हेतु खोले गए खाते में जमा करना; तथा
- योजना के अंतर्गत एफआई द्वारा उपार्जित ब्याज को प्रत्येक तिमाही में पी.ए.ओ. वस्त्र मंत्रालय में जमा करना।

1.6 योजना की निगरानी

योजना की निगरानी अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति और तकनीकी सलाहकार सह देख रेख समिति के द्वारा की जाती है।

1.6.1 अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति

सचिव¹⁵ वस्त्र मंत्रालय की अध्यक्षता में योजना को क्रियान्वित करने के लिए बृहत आधार पर नीति, मानदण्ड और दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (आई एम एस सी), का गठन किया था। आई एम एस सी के कार्य निम्नलिखित है :

- योजना को कार्यान्वित करने के लिए मानदण्ड और दिशानिर्देशों का निर्धारण करना, जिसमें पुनःअदायगी का समय, मार्जिन मनी आवश्यकताएं इत्यादि शामिल है;
- समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन की यह जाँचने के लिए समीक्षा करना कि योजना के उद्देश्य किस दिशा में तथा किस सीमा तक पूरे किए जा चुके हैं तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश मुहैया कराना;
- आवश्यक सुधारक उपाय करना/सुझाना;

¹⁵ आर आर-टफस से मंत्री, वस्त्र मंत्रालय चेयरमैन थे।

- योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सलाह के लिए तदर्थ समितियों का गठन करना;
- योजना के कार्यान्वयन के लिए पहले साल में कम से कम तिमाही में एक बार, और इसके बाद छः महीने में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार कभी भी सभा करना; तथा
- सरकार को योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा और विस्तार से अवगत कराते रहना।

1.6.2 तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन व निगरानी के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टी ए एम सी) का गठन किया गया था। तकनीकी कार्यों के अतिरिक्त टी ए एम सी के कार्य निम्नलिखित थे :

- एक वृहद स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा और उसके परिचालन का आलोचनात्मक विश्लेषण तथा प्रशासकीय एवं परिचालक अड़चनों का निराकरण; तथा
- योजना के कार्यान्वयन की दिशा एवं विस्तार से आई एम एस सी को अवगत कराते रहना।

1.7 वित्तीय लागत

01 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2007 के दौरान मंत्रालय ने योजना लाभार्थियों को ₹ 2,315.18 करोड़ की राशि निर्गत की। योजना हेतु 2007–08 से 2013–14 तक मंत्रालय द्वारा निर्गत किये गये वर्ष–वार बजट आकलन, संशोधित आकलन व राजसहायता सारणी–1 में दिखाए गए हैं।

सारणी 1 : 2007–08 से 2013–14 तक मंत्रालय द्वारा निर्गत किया गया वर्ष–वार बजट आकलन, संशोधित आकलन और राजसहायता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	जारी राजसहायता
2007-08	945.00	1,185.37	1,143.37
2008-09	1,140.00	2,843.61	2,632.00
2009-10	3,140.00	3,073.84	2,885.98
2010-11	2,400.00	2,900.00	2,784.18
2011-12	3,100.00	3,700.00	2,937.82
2012-13	2,914.00	2,323.03	2,151.34
2013-14	2,400.00	1,952.56	1,730.58
कुल	16,039.00	17,978.41	16,265.27

अध्याय 2 – लेखापरीक्षा रूपरेखा

2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा को यह जानने हेतु किया गया था कि क्या:

- मंत्रालय के पास भारतीय वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वर्तमान व प्रक्षेपित भविष्य की जरूरतों के आंकलन हेतु 2007 (एम-टफ्स) एवं 2011 (आर-टफ्स) में आँकड़े उपलब्ध थे;
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने राजसहायता की जरूरत का उचित आंकलन किया था तथा इसके लिए मंत्रालय के पास स्त्रोत/निधि उपलब्ध थी;
- योजना के अंतर्गत राजसहायता की देय राशि पात्र निवेश के लिए वितरित की गई; तथा
- प्रभावी निगरानी के लिए मंत्रालय ने योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों पर निगाह रखने हेतु प्रणाली की स्थापना की और उसका अनुसरण किया।

2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और विस्तार

योजना के वित्तीय लागत के विवरण से, जो कि ऊपर पैरा 1.7 में उल्लिखित है, यह स्पष्ट है कि 01 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2014 के दौरान योजना के अंतर्गत भारी राशि निर्गत की गई है। इसलिए निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना की 01 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2014 की समयावधि ली गई थी। सितम्बर 2014 से मई 2015 के दौरान योजना लाभार्थियों के 3,231 मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी।

मंत्रालय के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, कुल 20 राज्यों और 5 संघ शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को निधि निर्गत हुई थी। योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडू के लाभार्थियों में से नमूने लेखापरीक्षा के लिए चुने गए थे, क्योंकि मंत्रालय में उपलब्ध आँकड़े प्रतिबिम्बित करते हैं कि योजना के अंतर्गत ये राज्य मुख्य लाभार्थी राज्य थे।

2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड के स्रोत

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे :

- योजना के लिए जारी सरकारी संकल्प (जी आर);
- योजना के कार्यान्वयन के लिए समय—समय पर मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र;
- मंत्रालय में उपलब्ध योजना के निरूपण एफ आई को जारी की गई राज सहायता, ब्याज का विवरण, आर्थिक दण्ड पर ब्याज, राजसहायता वापसी इत्यादि से संबंधित दस्तावेज़;
- योजना के अन्तर्गत टप्स लाभार्थियों की योग्यता एवं राजसहायता की प्राप्ति को चिन्हित करने से संबंधित एफ आई और वस्त्र आयुक्त के पास उपलब्ध दस्तावेज़;
- आई एम एस सी और टी ए एम सी की विभिन्न बैठकों के कार्यक्रम एवं कार्यवृत्त; तथा
- मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त में उपलब्ध योजना की निगरानी से संबंधित दस्तावेज़।

2.5 लेखापरीक्षा पद्धति एवं नमूने

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए निम्न पद्धति को अपनाया गया:

2.5.1 उद्घाटन तथा समापन सम्मेलन

मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त और एफ आई के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में 03 सितम्बर 2014 को उद्घाटन सम्मेलन किया गया। तदोपरांत मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त एवं सात राज्यों में स्थित वित्तीय संस्थानों की शाखाओं में चयनित लाभार्थियों के मामलों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणीयां जारी की गई। लेखापरीक्षा के द्वारा, लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा करने हेतु चयनित सात राज्यों के एफ आई प्रतिनिधियों के साथ समापन सम्मेलन का आयोजन हुआ।

तदोपरांत टप्स का समेकित ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को 19 मई 2015 में जारी किया गया जिस पर मंत्रालय ने 08 जुलाई 2015 को उत्तर दिया और 09 जुलाई 2015 में मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में समापन सम्मेलन किया गया जिसमें समेकित ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। जैसाकि समापन सम्मेलन में चर्चा हुई थी, अतिरिक्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष मंत्रालय को 21 जुलाई 2015 जारी किये गये। मंत्रालय ने 20 अक्टूबर 2015 की वित्त संस्थाओं के उत्तर लेखापरीक्षा को अग्रेषित किये। उसके बाद 30 अक्टूबर 2015 को ड्राफ्ट फाईनल निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को जारी की गई जिस पर मंत्रालय ने 20 नवम्बर 2015 को उत्तर दे दिया। मंत्रालय से प्राप्त उत्तरों को ध्यान में रखते हुए ही लेखापरीक्षा रिपोर्ट को तैयार किया गया है।

2.5.2 लेखापरीक्षा नमूने

वस्त्र आयुक्त द्वारा दिये गए ऑकड़ों के अनुसार 01 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2014 के दौरान 22,998 मामलों में लाभार्थियों को ऋण दिया गया। लेखापरीक्षा ने उक्त लाभार्थियों में से नमूनों का चयन किया। लेखापरीक्षा के लिए चुने गये नमूने एम-टफ्स और आर-टफ्स के लाभार्थियों के मामलों से संबंधित थे। जब नमूनों का चयन किया जा रहा था तब यह प्रयास किया गया कि यह प्रतिनिधित्व नमूने हो जिसमें खण्ड, सेक्टर (एस एस आई और गैर-एस एस आई) और वित्तीय संस्थानों के प्रकार (वाणिज्यिक और सहकारी वित्तीय संस्थान) को भी ध्यान में रखा गया हो। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु राज्य-वार चयनित एवं लेखापरीक्षित नमूने सारणी-2 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 2 : निष्पादन लेखापरीक्षा में राज्यवार चयनित एवं लेखापरीक्षित नमूने

राज्य	लाभार्थियों के मामले जिन्हें लेखापरीक्षा के लिए लिया गया	लाभार्थियों के मामले जिनके रिकॉर्ड वित्तीय संस्थानों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये	लाभार्थियों के मामले जिनके रिकॉर्ड वित्तीय संस्थानों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये
आन्ध्र प्रदेश	183	180	03
गुजरात	1,306	1,101	205
मध्य प्रदेश	55	54	01
महाराष्ट्र	627	579	48
पंजाब	402	300	102
राजस्थान	150	137	13
तमिलनाडु	508	480	28
कुल	3,231	2,831	400

2.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, मंत्रालय, कार्यालय वस्त्र आयुक्त और वित्तीय संस्थानों से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सहयोग हेतु आभार प्रकट करता है। मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर तात्कालिक सुधारात्मक उपाय लेने के लिए की गई कार्रवाई पर भी लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।

अध्याय 3 – लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित व्यापक शीर्षकों की श्रेणी में रखा गया है:

- (i) आयोजना (ii) कार्यान्वयन तथा (iii) निगरानी एवं मूल्यांकन

3.1 आयोजना

3.1.1 आधारभूत आँकड़ों और संबंधित लक्ष्यों की जरूरत

किसी योजना के सूत्रीकरण के लिए समस्या के परिमाण को सम्बोधित करना योजना का मूल उद्देश्य है। एक बार समस्या के परिमाण को चिह्नित कर लिये जाने के बाद अगले चरण में योजना की रूपरेखा सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार अल्प-काल/दीर्घ काल दृष्टिकोण से तैयार होती है। उसके बाद संबंधित लक्ष्य/योजना के मूल्यांकन के लिए तय मानदण्ड चिह्नित किया जाना चाहिए। इन लक्ष्यों/मानदण्डों को इसलिए स्थापित किया जाता है ताकि निर्धारित सीमा के अंदर लक्षित लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुँचाते हुए समस्या का निदान किया जा सके।

उपरोक्त के संदर्भ में, समस्या के परिमाण के निदान के लिए आधारभूत आँकड़ों की उपलब्धता पहली आवश्यकता है। इसके लिए, एक प्रणाली होनी चाहिए जो आधारभूत आँकड़ों को एकत्रित/विश्लेषण करें। आधारभूत आँकड़ों के एकत्रित करने के अलावा योजना की सफलता/प्रभाव के मूल्यांकन हेतु चिह्नित किये गए मापदंडों के संदर्भ में सूचना/आँकड़ों को भी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त तथ्य पर, लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्न हैं:

आधारभूत आँकड़ों का अभाव

(क) लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जो कि:

- योजना को 2007 (एम-टफस के लिये) और 2011 (आर-टफस के लिये) में निरंतरता के लिए प्रस्तावित करते समय, वस्त्र उद्योग में मशीनरी के अप्रचलन की समस्या के परिमाण को चिह्नित करने वाले आधारभूत आँकड़ों की उपलब्धता को दर्शाता हो;
- योजना के विभिन्न चरणों अर्थात् 2007 से पूर्व की योजना, एम-टफस तथा आर-टफस के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले, पहचाने/मापदंडित किये गए उन्नयन के उचित स्तर को दर्शाता हो;
- दर्शाता हो कि मंत्रालय द्वारा 2007 तथा 2011 में कराये गये किसी अध्ययन में यह परिकल्पित था कि विभिन्न खण्डों एवं क्षेत्रों में किसी निर्धारित समय सीमा में (5 वर्ष, 10

वर्ष इत्यादि), उन्नयन का वांछित स्तर प्राप्त करने के लिए, कितनी वस्त्र मशीनरी, निवेश एवं राजसहायता की आवश्यता होगी; तथा

- योजना के विभिन्न चरणों में हासिल की गई आधुनिकीकरण की मात्रा एवं स्तर को दर्शाता हो।

(ख) वस्त्र आयुक्त ने भी मंत्रालय को लिखा (जून 2014) कि :

- आधुनिकीकरण की सटीक मात्रा तथा खंड-वार आधुनिकीकरण में कमी की पुष्टि करने वाले आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।
- लाभार्थियों तथा प्राप्त किए लाभ के परिमाण तथा प्रकार के बारे में विवरण के कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। सरकार के पास लाभार्थियों की कुल संख्या तथा दी गयी राजसहायता एवं किये गये निवेश के परिमाण को छोड़कर टफस के बारे में कोई डाटाबेस नहीं था।
- आर-टफस के अधीन 2011 से सीमित कम्प्यूटरीकरण हुआ था जो कि परियोजना लागत तथा विशिष्ट इकाईयों को दी गयी राजसहायता के परिमाण तक सीमित था। स्थापित की गयी मशीनरियों का विवरण तथा आधुनिकीकरण के परिमाण को सम्मिलित नहीं किया गया। जो आधुनिकीकरण हो चुका था उसे तथा उद्योग व उसके विभिन्न खंडों में आधुनिकीकरण की संचित सीमा को सम्मिलित करने वाले डाटाबेस को तैयार करने के कोई प्रयास नहीं किये गये थे।
- लाभार्थी अथवा स्थापित की गयी मशीनरियों का कभी भी कोई सत्यापन नहीं हुआ था और यह कह पाना मुश्किल होगा कि योजना के उद्देश्य के अनुसार राजसहायता वास्तविक लाभार्थी को तथा वास्तविक कारणों के लिए दी गयी थी।

मंत्रालय ने आधारभूत आँकड़ों की अनुपलब्धता पर लेखापरीक्षा अवलोकनों के उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि लाभार्थी वार आँकड़े उपलब्ध नहीं थे तथा टफस के लिए सॉफ्टवेयर के प्रस्तावित विकास में इन आँकड़ों को भी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि 1999 में शुरूआत के समय से, योजना के तीन अध्ययन किये जा चुके थे तथा उन्होंने इस अवधि के दौरान वस्त्र उद्योग में हुए आधुनिकीकरण को इंगित किया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी अध्ययन, अप्रचलन की समस्या के परिमाण तथा टफस के विभिन्न चरणों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले चिन्हित/मानदंड उन्नयन के यथोचित स्तर के मुद्दे पर मौन थे। सरकार के पास ऐसे दस्तावेज नहीं थे जो यह इंगित करते कि तकनीकी अप्रचलन को हटाने तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से होने वाली किफायत को हासिल करने के उद्देश्य को प्राप्त किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2015 एवं नवम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा के सुझावों को ध्यान में रखा गया है तथा तदनुसार हाल ही में विकसित किये गए सॉफ्टवेयर आई-टप्स के माध्यम से भविष्य में आधुनिकीकरण की सटीक मात्रा व इसके अंतर से संबंधित ऑकड़ों की निगरानी की जाएगी। आई-टप्स में नई मशीनरी से संबंधित ऑकड़ों को भी प्राप्त किया जा रहा है।

3.1.2 XI पंचवर्षीय योजना में चिह्नित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि XI पंचवर्षीय योजना (2007 से 2012) में लक्षित निवेश को ₹ 1,50,600 करोड़ तक बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा इस योजना के लिए ₹ 10,273.10 करोड़ के वित्तीय आबंटन की माँग की गई। XI पंचवर्षीय योजना में योजना के लिए खंड-वार निर्धारित निवेश लक्ष्यों और वृद्धिशील भौतिक लक्ष्यों को सारणी 3 में दिया गया है।

सारणी 3 : खंड-वार निवेश और वृद्धिशील भौतिक / लक्ष्य

क्रम संख्या	खंड	निवेश लक्ष्य (₹ करोड़ में)	वृद्धिशील भौतिक लक्ष्य
1	कताई	50,200	29.25 मिलियन स्पिनडलस
2	बुनाई	20,200	1,08,850 शटल रहित करघे
3	निटिंग	2,400	9,400 निटिंग मशीनें
4	प्रोसैसिंग	56,000	38.48 बिलियन वर्ग मीटर निरंतर प्रोसैसिंग
5	गारमेंटिंग	21,800	14.50 लाख सिलाई मशीनें
	कुल	1,50,600	

₹ 10,273.10 करोड़ के अपेक्षित आबंटन के विरुद्ध मात्र ₹ 8,000 करोड़ का योजना परिव्यय 2007 में (एम-टप्स) स्वीकृत किया गया वह भी निवेश लक्ष्यों में समानुपातिक कमी को दर्शाए बिना। लेखापरीक्षा ने पाया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी सी ई ए) ने संपूर्ण XI पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटन को ₹ 8,000 करोड़ से ₹ 15,404 करोड़ तक बढ़ा (मार्च 2011) दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि XI पंचवर्षीय योजना के दौरान ₹ 1,50,600 करोड़ के निवेश लक्ष्य के विरुद्ध योजना केवल ₹ 1,31,228 करोड़¹⁶ राशि के निवेश को आकर्षित करने में सक्षम रही।

¹⁶ जैसाकि अगस्त 2013 के सी सी ई ए नोट में इंगित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि राजसहायता के आबंटन, निवेश के साथ—साथ भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में मंत्रालय ने योजना की खंड—वार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं किये थे।

अगर वहाँ ऐसा प्रावधान होता, तो मंत्रालय जरूरत के अनुसार उपचारी कार्यवाही करने के लिए समय पर पिछड़े खंडों की पहचान कर सकता था। विशिष्ट खंड आबंटन, खण्ड—वार वास्तविक खर्च/राजसहायता, खण्ड—वार वास्तविक निवेश तथा खण्ड—वार भौतिक उपलब्धि से सम्बंधित आंकड़ों का मंत्रालय में अभाव के कारण लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि, मंत्रालय ने खण्ड—वार लक्ष्यों जो कि 2007 में एम टफस के संस्वीकृत होने के समय निश्चित किये गए थे, का मूल्यांकन कैसे किया। मंत्रालय ने आश्वासन दिया (जुलाई 2015 एवं नवम्बर 2015) कि खंड—वार भौतिक उपलब्धियों की निगरानी की आवश्यकता को नोट कर लिया गया है तथा भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।

3.1.3 प्रतिबद्ध देनदारियाँ

सामान्यतः, टफस के अन्तर्गत आने वाली वस्त्र परियोजनाएँ 10 वर्षों तक के समय के लिए ऋण के पुनर्भुगतान पर मिलने वाली राजसहायता के योग्य थी। टफस के लिए अधिकतम 10 वर्षों के समय के लिए उचित राजसहायता बॉटने की जिम्मेदारी मंत्रालय की है जिसे मंत्रालय द्वारा 'प्रतिबद्ध देनदारी' कहा जाता है।

3.1.3.1 प्रतिबद्ध देनदारी का अविश्वसनीय अनुमान

(क) लेखापरीक्षा ने एम—टफस के व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) के ज्ञापन में पाया कि XI पंचवर्षीय योजना के निधि आवश्यकता के लिए मामले की प्रस्तुति के समय ₹ 2,761.10 करोड़ की धनराशि को प्रतिबद्ध देनदारी के रूप में दिखाया गया था। XI पंचवर्षीय योजना के लिए यह प्रतिबद्ध देनदारियाँ 31 मार्च 2007 तक संस्वीकृत परियोजनाओं के परिपेक्ष्य में थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय में ₹ 2,761.10 करोड़ का ना तो लाभार्थी—वार तथा न ही बैंक—वार विवरण उपलब्ध था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मंत्रालय के पास उक्त राशि ₹ 2,761.10 करोड़ के भुगतान का लाभार्थी—वार तथा बैंक—वार विवरण भी उपलब्ध नहीं था।

मंत्रालय ने उत्तर (जुलाई 2015) दिया कि उनके पास लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए प्रतिबद्ध देनदारियों से सम्बंधित ऑकड़े नहीं हैं।

(ख) ई एफ सी ने जून 2010 में योजना की समीक्षा की और प्रतिबद्ध देनदारियों को सुदृढ़ करने तथा योजना को सी सी ई ए के अनुमोदन तक रोकने की सलाह दी। बैठक के दौरान यह पाया गया कि XI पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में हुए खर्च तथा XI पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष (2010–11) का बजट अनुमान पहले ही XI पंचवर्षीय योजना के योजना व्यय से ज्यादा हो गया

था। यह मुख्यतः टफस राजसहायता पाने के लिए बड़ी मात्रा में प्राप्त प्रार्थना पत्रों व पिछले वर्षों की प्रतिबद्ध देनदारी के कारण हुआ।

प्रतिबद्ध देनदारी को सुदृढ़ करने के विचार से, जैसे कि ई एफ सी द्वारा अनुशंसा की गई थी, वस्त्र आयुक्त ने एफ आई द्वारा 28 जून 2010 तक संस्थीकृत ऋण से सम्बंधित देनदारी, जो कि ₹ 5,432 करोड़ थी, के परिपेक्ष्य में दिये गए ऑकड़ों (जो कि एफ आई-वार थे ना कि लाभार्थीवार) को समेकित किया। सी सी ई ए ने ऊपर बताई गई ₹ 5,432 करोड़ की प्रतिबद्ध देनदारियों को XI पंचवर्षीय योजना के बचे हुए समय अर्थात् 31 मार्च 2012 तक के लिए अनुमोदित (मार्च 2011) किया, इसके पश्चात सरकार ने योजना को पुनर्गठित (अप्रैल 2011) कर दिया तथा इसे आर-टफस के रूप में नया नाम दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि वस्त्र आयुक्त 01 अप्रैल 1999 से 28 जून 2010 के दौरान संस्थीकृत ऋण के परिपेक्ष्य में प्रतिबद्ध देनदारियों को सीमित करेंगे। सीमितीकरण के इस अभ्यास में, वस्त्र आयुक्त ने (अप्रैल 2011) एफ आई से योजना के अन्तर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों के सम्बंध में सूचना मांगी। आई एम एस सी ने अपनी पहली बैठक (अगस्त 2011) में बताया कि एफ आई ने संशोधित ऑकड़े प्रस्तुत किये तथा XI पंचवर्षीय योजना के लिए कुल प्रतिबद्ध देनदारियाँ ₹ 5,432 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 8,289 करोड़ कर दी। आई एम एस सी ने प्रतिबद्ध देनदारियों में हुई बढ़ोतरी को गम्भीरता से लिया तथा एफ आई को इस मामले की जाँच करने और अगस्त 2011 की समाप्ति तक 28 जून 2010 तक संस्थीकृत परियोजनाओं के लिए लाभार्थी वार मुआवजे का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा।

इसके पश्चात् आई एम एस सी ने अपनी दूसरी बैठक (अक्टूबर 2011) में पाया कि प्रभावकारी सीमितीकरण मुश्किल साबित हो रहा था तथा एफ आई ऑकड़े लगातार संशोधित कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस बैठक में कुल प्रतिबद्ध देनदारियाँ ₹ 8,289 करोड़, जो कि आई एम एस सी की पहली बैठक में बताया गया था, के स्थान पर ₹ 7,410.90 करोड़ दिखाई गई।

यद्यपि सी सी ई ए द्वारा अंततः संस्थीकृत कुल प्रतिबद्ध देनदारियाँ केवल ₹ 6,336 करोड़ थी। इसमें मार्च 2011 में संस्थीकृत ₹ 5,432 करोड़ तथा अगस्त 2013 में संस्थीकृत ₹ 904 करोड़ की प्रतिबद्ध देनदारियां शामिल थी। अतः, भविष्य की प्रतिबद्ध देनदारियों से सम्बंधित लाभार्थी वार सुदृढ़ ऑकड़ों के अभाव में मंत्रालय पूर्णतः एफ आई पर निर्भर था, जो प्रतिबद्ध देनदारियों की राशि के ऑकड़ों को लगातार बदल रहे थे।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2015) कि प्रतिबद्ध देनदारियों का केवल एफ आई-वार विवरण उपलब्ध था और ₹ 5,432 करोड़ की प्रतिबद्ध देनदारियों का लाभार्थी वार विवरण उपलब्ध नहीं था।

इस सम्बंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- ऑकड़ों का रख—रखाव न करने के परिणामस्वरूप मंत्रालय XI पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिबद्ध देनदारियों की राशि का अनुमान नहीं लगा पाया तथा बजट आबंटन, जो कि सम्पूर्ण XI पंचवर्षीय योजना के लिए निश्चित था, 28 जून 2010 तक लगभग समाप्त हो चुका था जिसके चलते योजना को 29 जून 2010 से 27 अप्रैल 2011 तक रोका गया। अतः इस कालखण्ड के दौरान किया गया निवेश योजना के अन्तर्गत लाभ के लिए अयोग्य हो गया।
- एफ आई द्वारा भेजी गई प्रतिबद्ध देनदारियों की राशि के आश्वासन के लिए किसी प्रणाली व तरीके पर विचार नहीं किया गया। ऐसी प्रणाली के अभाव में अपात्र मुआवजे को सम्मिलित करने की सम्भावना, ब्लैक आउट अवधि के मामले तथा लाभार्थियों को अधिक भुगतान करने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2015) था कि वह प्रतिबद्ध देनदारियों तथा ब्लैक आउट अवधि से सम्बंधित ऑकड़ों के मूल्यांकन तथा मिलान के लिए दो पेशेवर एजेंसियों के चयन को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में था। मंत्रालय ने यह भी कहा (जुलाई 2015) कि एम—टफ्स, आर—टफ्स तथा आर आर—टफ्स की अवधि के अन्तर्गत संस्थीकृत मामलों के लिए खाता—वार राजसहायता की वर्ष—वार आवश्यकता XII पंचवर्षीय योजना (2012—2017) से उपलब्ध है। मंत्रालय का जवाब लेखापरीक्षा के इस तर्क को सिद्ध करता है कि XI पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय में ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक लाभार्थी से सम्बंधित राजसहायता की राशि केवल उसी लाभार्थी को दी गई थी।

इसके अतिरिक्त जुलाई 2015 में हुए समाप्त सम्मेलन में मंत्रालय ने वस्त्र आयुक्त को प्रतिबद्ध देनदारियों के मुद्दे पर वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी।

अनुशंसाएं:

1. भविष्य में इस योजना की रूपरेखा तैयार करते समय मंत्रालय को उद्योग में अप्रचलन की समस्या के परिमाण का खण्ड—वार मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिये और प्राप्त किये जाने वाले मापदण्डों को स्थापित करना चाहिये।
2. मंत्रालय योजना की खण्ड—वार निगरानी पर विचार करे, जिससे प्रत्येक खण्ड की प्रगति पर पैनी नजर रखी जा सके।
3. मंत्रालय को लाभार्थी—वार प्रतिबद्ध देनदारियों का अपना डाटा रखना चाहिये।

3.2 कार्यान्वयन

3.2.1 अयोग्य लाभार्थियों को राजसहायता प्रदान करना

योजना के अंतर्गत किसी लाभार्थी के योग्यता मानदण्डों को मंत्रालय के, नवम्बर 2007 (एम-टफ्स) एवं अप्रैल 2011 (आर-टफ्स), जी-आर तथा वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में समय-समय पर परिभाषित किया गया था।

योजना के लाभों को प्रदान करते समय पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले केवल योग्य लाभार्थियों को, लाभ पहुँचाने की जिम्मेदारी वित्तीय संस्थानों की थी। तदनुसार योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थियों के त्रैमासिक दावों को वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाया जाना था। दावे को वित्तीय संस्थानों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सत्यापन तथा प्रमाणीकरण के बाद वस्त्र आयुक्त को प्रेषित किया जाना था। अयोग्य लाभार्थियों को समाविष्ट करने की त्रुटियों को हटाने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिए थे। वित्तीय संस्थानों को लाभार्थियों के दावों की सटीकता तथा सत्यता को भी प्रमाणित करना था।

फिर भी, लेखापरीक्षा जॉच ने दर्शाया कि 2,831 लाभार्थी मामलों के नमूने में से छ: राज्यों के 129 मामलों में ₹ 46.96 करोड़ की राजसहायता अयोग्य लाभार्थियों को निर्गत की गई। ये लाभार्थी निम्न के कारण अयोग्य पाए गए:

- टफ्स के अंतर्गत राजसहायता के दावे के लिए टफ्स के योग्य आयातित मशीनरी की खरीद के रूप में लाभार्थियों द्वारा संदेहास्पद बिल ऑफ एन्ट्री प्रस्तुत करना। बिलों में वर्णित आयातक का नाम और मूल्यांकन योग्य मूल्य का कस्टम विभाग के रिकॉर्ड के साथ मिलान नहीं हुआ और कुछ मामलों में ऐसी संख्या के कोई बिल ऑफ एन्ट्री ही कस्टम विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये थे;
- एम एम एस प्राप्त करने वाली शर्तों का अनुपालन न किया जाना जैसे कि क) इकाईयों को एक ही स्वामित्व के अंतर्गत राजसहायता प्रदान किये जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक कार्य करना, तथा ख) एफ आई द्वारा ऋण पुनर्भुगतान अवधि को न्यूनतम ऋण रथगन अवधि सहित, तीन वर्ष रखना चाहिये;
- 15 प्रतिशत एम एम एस के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, (जो यह कहता है कि एस एस आई उद्यमी अपने 15 प्रतिशत भाग को सीधे मशीन निर्माता को देगा), ऐसे आपूर्तिकारों से मशीनें क्रय करना जो कि निर्माता नहीं थे;
- लाभार्थी इकाईयाँ जिनका पता नहीं लग पाया;

- जिन मशीनों पर टफस राजसहायता का दावा किया गया था वह लाभार्थियों के पास नहीं पाई गयीं; तथा
- वस्त्र आयुक्त द्वारा अपने परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित समय—सीमा के भीतर वित्तीय संस्थानों द्वारा दावों को प्रस्तुत न करना।

अयोग्य लाभार्थियों के मामलों का राज्यवार सारांश **अनुलग्नक 3** में दिया गया है।

3.2.2 अयोग्य निवेशों को राजसहायता प्रदान करना

योजना के अंतर्गत योग्य निवेशों का स्पष्ट विवरण योजना के दिशानिर्देशों में अर्थात् जी आर में दिया गया था। इसके अतिरिक्त योग्य निर्देशों के संबंध में समय—समय पर स्पष्टीकरण जारी किये गए थे जैसे कि टफस राजसहायता के लिए योग्य मशीनरी, अन्य योग्य निवेश, तय तारीख के भीतर किये गये निवेश आदि तथा कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत योग्य निवेश का निर्धारण।

इसके अतिरिक्त टफस के अंतर्गत धनराशि के निर्गत किये जाने को वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप में वित्तीय संस्थानों द्वारा आँकड़ों के प्रस्तुत किये जाने से जोड़ दिया गया था। इन प्रारूपों में परियोजना में प्रस्तावित प्लांट एवं मशीनरी/उपकरण की टफस से संबंधित वास्तविक विशिष्टताएँ सम्मिलित थीं। धनराशि तब तक निर्गत नहीं की जानी थी जब तक निर्धारित प्रारूप में इकाई—वार आँकड़े वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जाते।

फिर भी, लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि 2,831 लाभार्थी—मामलों के नमूने में से सात राज्यों के 193 मामलों में ₹ 52.87 करोड़ की राजसहायता, टफस के लिये अयोग्य निवेशों पर निर्गत किया गया। ये निवेश निम्नलिखित पर राजसहायता का दावा करने के कारण अयोग्य पाए गए:

- वह मशीनरियाँ, जो कि जी आर के प्रावधानों के अन्तर्गत टफस राजसहायता के लिए योग्य नहीं थीं;
- कर एवं शुल्कों को मशीनरी के क्रय मूल्य में सम्मिलित करना— योजना के अनुसार मशीनरी के मूल मूल्य पर ब्याज राजसहायता/पूँजी राजसहायता/मार्जिन मनी राजसहायता का प्रावधान है तथा मूल्य—निर्धारण के लिए कर के घटक को सम्मिलित नहीं करने का प्रावधान है;
- परिधान तथा हथकरघा खण्ड से अलग खण्डों के मामलों में जमीन तथा कारखाना भवन — योजना (एम—टफस) में प्रावधान है कि जमीन तथा कारखाना भवन, प्रारम्भिक एवं संचालन से पूर्व के व्यय तथा कार्यशील पूँजी के लिए आवश्यक मार्जिन धनराशि, परिधान एवं हथकरघा खण्ड के मामले में प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल निवेश के 50 प्रतिशत तक योग्य थे; तथा

- ऋण स्वीकृत होने से पूर्व क्रय की गयी मशीनरी – जी आर के प्रावधानों के अनुसार आगमन तिथि (एम–टफ्स) को या उसके बाद क्रय की गयी मशीनें तथा अवधि ऋण (आर–टफ्स) की स्वीकृति की तिथि को या उसके बाद क्रय की गई मशीनें योजना के अंतर्गत टफ्स राजसहायता के लिए योग्य थी।

अयोग्य निवेश के मामलों का राज्यवार सारांश **अनुलग्नक 4** में दिया गया है।

3.2.3 लाभार्थियों को अधिक भुगतान

वास्तविक राशि जिसके द्वारा लाभार्थी लाभान्वित होगा, लाभार्थी के द्वारा, चिह्नित क्षेत्र एवं खण्ड में, योग्य निवेश पर निर्भर करेगी। नमूने के तौर पर लिये गये लाभार्थियों के मामलों की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि कुछ मामलों में राजसहायता की गणना योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप उचित रूप से नहीं की गयी। फलस्वरूप, 2,831 लाभार्थियों के मामलों के नमूनों में, सात राज्यों के 40 मामलों में ₹ 6.42 करोड़ की राजसहायता का अधिक भुगतान किया गया। यह अधिक भुगतान टफ्स राजसहायता की गणना निम्नलिखित पर करने के कारण हुआ:

- सभी टफ्स पात्र निवेशों को विभिन्न क्षेत्रों/खण्डों के लिए अलग–अलग दरों पर राजसहायता देने की बजाय विभिन्न क्षेत्रों/खण्डों के लिए एक समान दरों पर राजसहायता गणना करना। यह योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना के लिए ऋण दाता एजेंसी द्वारा लिए जाने वाले ब्याज पर 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है। तथापि, कताई मशीनरी के लिए प्रतिपूर्ति 4 प्रतिशत थी (एम–टफ्स)। जबकि, योजना (आर–टफ्स) में कताई मशीनरी के लिए नये स्टैण्ड अलोन/प्रतिस्थापन इसके आधुनिकीकरण हेतु 4 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति और बुनाई/निटिंग/प्रोसेसिंग/गारमेटिंग में सुमेलित क्षमता वाली कताई इकाईयों के लिए 5 प्रतिशत का प्रावधान था;
- टफ्स के लिए वितरित किये गये ऋण के योग्य हिस्से के बजाय सम्पूर्ण ऋण पर गणना करने के कारण; तथा
- इन्वायसों के अनुसार मशीनरी के वास्तविक मूल्य के बजाय प्रारूपों में दर्शाये गये मशीनरियों के उच्च मूल्यों पर गणना करने के कारण।

अधिक भुगतान के मामलों का राज्यवार सारांश **अनुलग्नक 5** में दिया गया है।

3.2.4 लाभार्थियों के खातों में राजसहायता जमा करने में देरी

योजना के जी आर के अनुसार, मंत्रालय से राजसहायता की प्राप्ति के बाद, एफ आई द्वारा टफ्स लाभार्थी को राजसहायता एम–टफ्स में एक/दो दिन तथा आर–टफ्स में तीन कार्य दिवसों के भीतर निर्गत की जानी थी। यह एफ आई को सुनिश्चित करना था कि लाभार्थी को राजसहायता निर्धारित समय सीमा के अंदर जारी की जाये। लाभार्थियों को राजसहायता निर्गमन में देरी के संदर्भ में,

राजसहायता को ब्याज देने वाले खाते में जमा कराना चाहिए और उस पर अर्जित ब्याज को मंत्रालय को वापस कर देना चाहिए।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने संबंधित लाभार्थियों के खातों में भुगतान करने वाली शाखाओं से धन राशि के हस्तातंरण से संबंधित अभिलेखों की जाँच की और पाया कि 2,831 लाभार्थियों के मामलों के नमूनों में, छ: राज्यों के 172 मामलों में लाभार्थित खातों में राजसहायता जमा करने में 1 से लेकर 1509 दिनों की देरी थी। लाभार्थियों के खातों में राजसहायता जमा करने में देरी का राज्यवार सारांश **अनुलग्नक 6** में दिया गया है।

3.2.5 ब्याज न देने वाले खातों में निधि रखना

एम-टफ्स और आर-टफ्स के जी आर में अनुबद्ध किया गया था कि सभी निधि प्राप्त कर रहे एफ आई को इस उद्देश्य हेतु एक अलग खाता रखना होगा और एफ आई के पास उपलब्ध अवितरित धनराशि पर किसी प्रकार के ब्याज को एफ आई द्वारा प्रत्येक तिमाही वेतन और लेखा कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली में जमा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर-टफ्स के जी आर में यह विशिष्ट रूप से उल्लिखित था कि निधि को ब्याज देने वाले खाते में रखा जायेगा और वेतन और लेखा कार्यालय में ब्याज जमा करते समय एफ आई, वेतन एवं लेखा कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय को सभी विवरण देंगे जैसे कि वह राशि जिस पर ब्याज उपार्जित हुआ, सही तिथि और अवधि तथा ऐसे ब्याज की दर।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लाभार्थियों के खातों में टफ्स राजसहायता जमा करने से पहले गुजरात में ₹ 4.77 करोड़ की राशि पाँच एफ आई की सात संवितरण करने वाली शाखाओं के ब्याज देने वाले खातों में नहीं जमा की गयी। इन मामलों में एफ आई ने सात से 31 महीने तक की अवधि तक धनराशि को अपने खातों में रखा तथा इस खाते पर भारत सरकार को कोई भी ब्याज नहीं दिया गया। एफ आई द्वारा अवधारित अवितरित राजसहायता राशि का विवरण **अनुलग्नक 7** में दिया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालय द्वारा एफ आई को जारी की गयी राजसहायता इस उद्देश्य के लिए समर्पित ब्याज खाते में ही रखी गयी थी, लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से विस्तारपूर्वक बताने को कहा क) कार्यविधि के अस्तित्व और इसके पालन का तरीका, अर्थात् मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफ आई उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन कर रहे थे, और ख) अनुपालन न किये जाने वाले मामलों में शुरू की गयी उपचारी कार्यवाही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालय द्वारा जारी निधि संबंधित लाभार्थी के खाते में संवितरित किए जाने से पहले, ब्याज देने वाले खाते में ही रखी गयी थी।

मंत्रालय ने (मार्च 2015), कहा कि अधिकांश एफ आई निधि को चालू खाते में रख रहे हैं जिस पर कोई ब्याज अर्जित नहीं होता। मंत्रालय ने (जुलाई 2015) आगे उत्तर दिया कि यद्यपि एफ आई के पास इन खातों के उचित रख-रखाव के लिए आंतरिक तंत्र उपलब्ध है, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सलाह दी

गयी, फिर भी तंत्र को मजबूत किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जी आर के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। मंत्रालय ने (जुलाई 2015) यह भी कहा कि निधि को ब्याज खातों में रखने की आवश्यकता का अनुपालन न करने वाले एफ आई को वस्त्र आयुक्त द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा है कि वे राशि पर अर्जित ब्याज की रकम को दण्डात्मक ब्याज के साथ वापस करें। उनको यह निर्देश भी दिये जा रहे हैं कि वे भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न करें।

पैरा संख्या 3.2.1 से 3.2.5 पर मंत्रालय का जवाब

मंत्रालय ने (अक्टूबर 2015) कहा कि ये योजना बैंकों द्वारा कार्यान्वित की गई है तथा इंगित की गई अनियमिततायें बैंकों से संबंधित हैं। वस्त्र आयुक्त ने संबंधित बैंकों के सी एम डी/एम डी/ई डी के साथ अनियमितताओं से संबंधित मुद्दों को उठाया है। यह भी कहा गया कि योजना के संशोधन में, जो कि विचाराधीन है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने एफ आई द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर दिये गये उत्तरों का सारांश भी प्रस्तुत किया तथा इसमें अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित हैं:

- (i) उन मामलों की संख्या जिनमें एफ आई द्वारा या तो वसूली कर ली गयी है या वसूली के लिये कदम उठाये गये हैं;
- (ii) उन मामलों की संख्या जिनमें एफ आई लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत नहीं थे;
- (iii) उन मामलों की संख्या जिनमें एफ आई का उत्तर प्रतीक्षारत था।

हालाँकि, जिन मामलों में एफ आई लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत नहीं थे, उन पर मंत्रालय ने अपना मत नहीं दिया कि वे एफ आई के मत से सहमत हैं या नहीं।

इसलिए मंत्रालय उपरोक्त श्रेणी (iii) में आने वाले मामलों में एफ आई से उत्तर माँगे तथा श्रेणी (ii) एवं (iii) में आने वाले मामलों पर अपना मत बनाये।

लाभार्थियों के खातों में राजसहायता देरी से जमा करने से संबंधित लेखापरीक्षा की टिप्पणी के जवाब में, मंत्रालय ने इससे पहले (जुलाई 2015) में कहा कि व्यवस्था को और मजबूत किया जायेगा ताकि निर्गमित राशि को एफ आई द्वारा जी आर में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक न रखा जा सके।

3.2.6 राजसहायता की वापसी

टफस एक प्रतिपूर्ति योजना है और इसकी मुख्य विशेषता अनुमोदित एफ आई द्वारा वास्तविक रूप से लगाए जाने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति है। तदनुसार, लाभार्थी द्वारा एफ आई को टफस योग्य ऋण के ब्याज के भुगतान के बाद राजसहायता को एफ आई द्वारा लाभार्थी के खाते में जमा कर दिया जाता है। इस राजसहायता को एफ आई के ब्याज देने वाले समर्पित खाते में जमा किया जाता है और मंत्रालय

से इनकी प्राप्ति के अधिकतम तीन दिन के भीतर, लाभार्थी के खाते में जमा करना होता है। इस प्रकार, आदर्श स्थिति में, यदि मंत्रालय से प्राप्त सम्पूर्ण राजसहायता वितरित कर दी गई हो, तो समर्पित खाते में कोई भी धनराशि शेष नहीं रहनी चाहिए।

इस खाते में शेष धनराशि सिर्फ उसी स्थिति में होगी जब लाभार्थी के खाते में राजसहायता वितरण में विलम्ब हो (चूँकि इस अवितरित धनराशि पर ब्याज अर्जित किया जाएगा) या जब लाभार्थी द्वारा धनराशि वापस कर दी जाए (एक दावे के लिए दो बार भुगतान या अधिक भुगतान की स्थिति में)। इस प्रकार सामान्य परिस्थिति में यदि एफ आई द्वारा दावा विवेकानुसार किया गया हो, तो कोई भी राजसहायता वापस नहीं होनी चाहिए।

मंत्रालय में अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 2009–10 से 2013–14 के दौरान राजसहायता की वापसी के कई दृष्टान्त पाए। वर्ष 2009–10 में, राजसहायता के अधिक दावे या अयोग्य लाभार्थियों को राजसहायता के भुगतान के कारण, एफ आई द्वारा ₹ 121.45 करोड़ की धनराशि वापस कर दी गई। इन दृष्टान्तों से यह संकेत मिलते हैं कि एफ आई द्वारा लाभार्थियों के दावों की उचित छानबीन नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने (जुलाई 2015 एवं नवम्बर 2015) स्वीकार किया कि एक आदर्श परिस्थिति में समर्पित खाते में राशि शेष नहीं रहना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अधिक राजसहायता के दावे या अयोग्य लाभार्थियों को राजसहायता का भुगतान एफ आई द्वारा लाभार्थियों के दावों की उपयुक्त जाँच में कमी को दर्शाता है। एफ आई द्वारा राजसहायता वापस करने के सभी मामलों में, वस्त्र आयुक्त कारणों की जाँच करता है तथा ब्याज की वसूली सुनिश्चित करने के साथ-साथ भविष्य में देय दावों के संबंध में, एफ आई द्वारा कार्यकारी निदेशक (ई डी) के स्तर पर एक प्रमाण पत्र देने पर जोर देता है।

मंत्रालय ने (जुलाई 2015 एवं नवम्बर 2015) आगे कहा कि एफ आई द्वारा की गई त्रुटियों को नयी प्रस्तावित योजना में ध्यान रखा जायेगा जहाँ राजसहायता बैक-एंडेड होगी और जो इस उद्देश्य से संस्थापित संयुक्त निरीक्षण दल (जे आई टी) द्वारा, मापदंडित मशीनरी के प्रस्थापन एवं प्रारम्भ तथा इसके प्रौद्योगिकी स्तर के भौतिक सत्यापन के बाद ही वितरित, की जाएगी।

अनुशंसाएँ:

4. मंत्रालय को भविष्य में उपरोक्त कार्यान्वयन संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए एफ आई को अपनी सम्यक उद्यम व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश देना चाहिए।
5. मंत्रालय को अपनी ओर से निरीक्षण कराने पर विचार करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एफ आई राजसहायता योग्य लाभार्थियों/निवेशों को देने हेतु आवश्यक सम्यक उद्यम का पालन कर रहे हैं।

3.3 निगरानी एवं मूल्यांकन

निगरानी योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि योजना इसके सूत्रीकरण और आयोजना के समय पर निर्धारित दिशा में प्रगतिशील है। योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति का समवर्ती मूल्यांकन और समीक्षा, कमज़ोर क्षेत्रों को चिन्हित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे बेहतर ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिलती है। प्रभावी निगरानी तंत्र यह भी सुनिश्चित करता है कि योजना के अन्तर्गत लक्षित लाभार्थी तय समय में लाभ उठायें ताकि योजना के सूत्रीकरण के समय आरेखित व्यापक उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

3.3.1 योजना के कार्यान्वयन की न्यूनतम निगरानी

दावों को संसाधित करने की मौजूदा प्रणाली के अनुसार : (i) एफ आई दावों को शाखा स्तर पर तैयार करते हैं और उन्हें संबंधित नियंत्रक कार्यालयों में भेजते हैं ताकि प्रधान कार्यालय में उनका समेकन किया जा सके; (ii) एफ आई के सभी समेकित दावों को प्रतिपूर्ति के लिए वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत किया जाता है; (iii) वस्त्र आयुक्त, एफ आई से अपेक्षित प्रमाण पत्र के आधार पर, दावों की समीक्षा करता है; (iv) दावों का संग्रह करने के बाद वस्त्र आयुक्त उन्हें संसाधित करने और राजसहायता के दावों के निर्गमन के लिए मंत्रालय को अग्रेषित करता है; तथा (v) मंत्रालय, दावों की समीक्षा के बाद, राजसहायता देने के लिए स्वीकृति पत्र सीधे एफ आई को जारी करता है।

मंत्रालय ने, कम्पनी के डाटा बेस के रख-रखाव परियोजना-वार स्थापित पात्रता, टफस योग्यता के लिए लंबित संदर्भों, व्याज प्रतिपूर्ति के भुगतान आदि के लिए, एफ आई को निर्देश जारी किये। चूंकि, वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों के आधार पर निधियों को सीधे एफ आई को संस्वीकृत और जारी करने के लिए मंत्रालय जिम्मेदार है, इसलिए मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त की ओर से एक प्रभावी जाँच एवं निगरानी तंत्र का होना आवश्यक था जिससे कि उनके निर्देशों का अनुपालन, तथा व्यवस्थित प्रतिवेदनों के माध्यम से सही एवं अद्यतन आँकड़े, सुनिश्चित किये जा सकें।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि दावों को संसाधित करने की प्रणाली में मंत्रालय द्वारा एफ आई के कार्य की निगरानी न्यूनतम थी। योजना की रूपरेखा एफ आई, जो कि कार्यान्वयन एजेन्सी थीं, को शावित्रियों के विस्तृत हस्तान्तरण पर आधारित थी। एफ आई लाभार्थियों की पात्रता को निर्धारित कर रहीं थीं तथा उनके दावों को तैयार कर रहीं थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि एफ आई द्वारा प्रस्तुत दावों की सत्यता की जांच हेतु स्वतंत्र रूप से वस्त्र आयुक्त या मंत्रालय द्वारा संवीक्षा नहीं की गई थी। मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त की भूमिका एफ आई के दावों की सत्यता की पुष्टि करने और एफ आई को निधि निर्गत करने के संदर्भ में आँकड़ों तथा प्रमाणपत्रों का स्वतंत्र सत्यापन किये बिना दिशानिर्देशों, निर्देशों को जारी करने तथा आँकड़ों को एकत्रित/समेकित करने तक सीमित थी।

मंत्रालय ने (मार्च 2015) कहा कि एफ आई वित्त मंत्रालय के अधीन है तथा उनकी अपनी लेखापरीक्षा व्यवस्था है। मंत्रालय ने आगे कहा कि उन्होंने एफ आई को समय—समय पर अनुपालन हेतु निर्देश जारी किये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय को एफ आई के लेखापरीक्षा एवं निगरानी तंत्र पर पूर्णतः निर्भर रहने के बजाए अपने निर्देशों के अनुपालन की नमूना जाँच के लिए कोई तंत्र निर्मित करने की जरूरत थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यद्यपि मंत्रालय को योजना के कार्यान्वयन में हुई त्रुटियों के विषय में पता था जैसे कि, अयोग्य लाभार्थियों/अपात्र निवेशों को राजसहायता देना, अधिक राजसहायता का दावा करना आदि, फिर भी उन्होंने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली हेतु मानदण्ड बनाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये। मंत्रालय का यह दावा करना कि एफ आई के पास सुस्थापित प्रणाली थी तथा वस्त्र आयुक्त की इस विषय में सीमित जिम्मेदारी थी, इसे इसके निगरानी दायित्वों से मुक्त नहीं करता है।

मंत्रालय ने (जुलाई 2015 एवं नवम्बर 2015) उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा द्वारा दिये गए सुझावों को नोट कर लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी जोड़ा कि टफस के अधीन आर आर टफस तक के सभी संस्कीर्त खातों के बेहतर प्रबंधन के लिए आई—टफस का आरम्भ किया गया है। आगे, नई योजना में यह प्रस्ताव दिया गया है कि केवल संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात ही बैक एन्डे राजसहायता पर विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें निगरानी प्रणाली को रखे जाने का भी प्रस्ताव है।

3.3.2 एफ आई द्वारा निर्देशों के अनुपालन के परीक्षण का तंत्र

3.3.2.1 संस्कीर्ति की शर्तों के अनुपालन को देखने के लिए तंत्र की गैर मौजूदगी

इस योजना के अन्तर्गत आई आर/सी एस निर्गत करने के लिए स्वीकृति पत्र निर्गमित करते समय, स्वीकृति पत्र में निम्नलिखित मुख्य नियम और शर्तें शामिल की गई थीं:

- एफ आई सरकार से प्राप्त निधि का सहायक लेखा तैयार करेगा;
- एफ आई उन लाभार्थियों के विवरण का एक रजिस्टर तैयार करेगा जिन्हें राजसहायता दी गई थी; तथा
- एफ आई को दी गई धनराशि का सरकार (मंत्रालय)/मुख्य लेखा नियंत्रक (सी सी ए) वाणिज्य एवं वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली के आन्तरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014 से पहले उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पर नजर रखने का कोई तंत्र नहीं था। मंत्रालय ने हालाँकि लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी कमियों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2015) कि निगरानी तंत्र को यथा आवश्यक मजबूत किया जाएगा।

3.3.2.2 स्वीकृति पत्र में एक महत्वपूर्ण शर्त को शामिल ना किया जाना

एम-टफस एवं आर-टफस के जी आर के अनुसार, एफ आई को निर्गत की जाने वाली टफस राजसहायता को, जब तक लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित न हो, ब्याज देने वाले खातों में रखना था। फिर, इस प्रकार अर्जित ब्याज को एफ आई द्वारा प्रत्येक तीन माह पर मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय में जमा करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस शर्त को स्वीकृति पत्र में सम्मिलित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2015) कि लेखापरीक्षा टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति पत्र दोबारा बनाया जाएगा।

3.3.3 सूची-II में ब्लैक-आउट अवधि के मामलों का समावेशन

जैसा कि उपरोक्त पैरा 1.2.3 में उल्लिखित है कि ऋणद एजेन्सियाँ, अर्थात् एफ आई, को टफस के अंतर्गत किसी भी नए ऋण की स्वीकृति न देने और सभी नए प्रस्तावों को सी सी ई ए द्वारा अतिरिक्त आबंटन आने तक रोक देने का परामर्श दिया गया था। तदनुसार, एम-टफस को समाप्त कर दिया गया और 29 जून 2010 से इस योजना के अंतर्गत नई स्वीकृतियों को भी रोक दिया गया। तथापि, आर-टफस पर जी आर 28 अप्रैल 2011 को जारी हुआ जो सिर्फ उन ऋणों से संबंधित था जो एफ आई द्वारा 28 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान स्वीकृत होने थे। अतः इस ब्लैक-आउट अवधि (29 जून 2010 से 27 अप्रैल 2011) के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/अवधि ऋण टफस के अंतर्गत लाभ के योग्य नहीं थे।

आगे अप्रैल 2011 में, योजना के आर-टफस के रूप में पुनर्गठन के समय, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 01 अप्रैल 1999 से 28 जून 2010 के दौरान अनुमोदित ऋणों के संबंध में प्रतिबद्ध देनदारियों को वस्त्र आयुक्त सीमाबद्ध (यथा सीमित करने के लिए) करेंगे। सीमाबद्धता की इस कार्यवाही में, वस्त्र आयुक्त ने (अप्रैल 2011) एफ आई से योजना के अंतर्गत प्रतिबद्ध देनदारियों पर सूचना उपलब्ध करवाने को कहा।

इसके बाद, आई एम एस सी ने (अक्टूबर 2011) में निर्णय लिया कि सरकार को राजसहायता की सभी प्रतिबद्ध देनदारियों को वर्गीकरण के आधार पर चुकाना चाहिए अर्थात् : ए) सूची-I, वह मामले जिनमें राजसहायता की प्रथम किस्त चुका दी गई हो। बी) सूची-II, वह मामले जिनमें परियोजनाओं की जांच और योग्यताओं का निर्धारण कर लिया गया हो पर राजसहायता की कोई भी किस्त निर्गत न की गई हो।

सूची-II के मामलों का वस्त्र आयुक्त की एक आंतरिक समिति द्वारा जाँच की गयी तथा इसके प्रतिवेदन के आधार पर, आई एम एस सी ने मई 2012 में अपनी एक बैठक में, 2,196 मामलों को एम-टफस के अंतर्गत, ₹ 904 करोड़ की राजसहायता के लिए प्रस्तावित किया। तदोपरान्त, वस्त्र मंत्रालय ने, एम-टफस के अंतर्गत सूची-II के 2,196 मामलों के ₹ 904 करोड़ की देयता के लिए सी सी ई ए से अनुमोदन की माँग की और सी सी ई ए ने इसे अगस्त 2013 में अनुमोदित कर दिया।

लेखापरीक्षा की जांच से प्रकट हुआ कि सूची-II के ₹ 904 करोड़ के 2,196 मामलों में 19 मामले (अनुलग्नक 8), ब्लैक आउट अवधि (29 जून 2010 से 27 अप्रैल 2011) से संबंधित थे। इस अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण टफस के अंतर्गत लाभ के योग्य नहीं थे क्योंकि इस अवधि के दौरान इस योजना को रोक दिया गया था तथा कोई नई स्वीकृति देने की आज्ञा भी नहीं दी गई थी। अतः सूची-II मामलों में ब्लैक आउट अवधि के मामलों को सम्मिलित करना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि सूची-II में सिर्फ उन मामलों को ही शामिल किया जाना था जिनकी टफस परियोजना छानबीन और योग्यता का निर्धारण पूर्ण हो चुका हो पर टफस राजसहायता की किस्तें निर्गत न की गई हों।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि आई एम एस सी द्वारा अनुमोदित सूची-II के मामलों में ऐसे चार मामले (अनुलग्नक 9) भी शामिल हैं, जिनमें ऋणों को 27 अप्रैल 2011 के बाद (आर-टफस की अवधि के दौरान) स्वीकृत किया गया था। जो कि अनियमित था क्योंकि आर-टफस के मामलों की सूची-II में सम्मिलित नहीं किया जाना था।

मंत्रालय ने (नवम्बर 2015) जवाब में कहा कि एम-टफस की सूची-II के मामलों के संशोधित प्रतिबद्ध देनदारी से संबंधित ऑकड़ों को वस्त्र आयुक्त की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है जिसमें बहुत से मामले पहले ही अयोग्य घोषित कर दिये गये हैं तथा उनकी देनदारी शून्य दिखाई गई है।

तथ्य फिर भी यही रहा कि सी सी ई ए से अनुमोदन लेते समय, सूची-II में अयोग्य मामलों को सम्मिलित किया गया जो कि सम्यक उदयम के अभाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने इन सभी मामलों को अयोग्य घोषित नहीं किया यद्यपि इनमें से कोई भी मामला योजना के अंतर्गत, योग्य नहीं था।

3.3.4 प्रतिबद्धताओं का पालन न करना

जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो योजना की मध्यावधि सुधार और जी आर तथा योजना के मूल्यांकन और स्वीकृति संबंधित दस्तावेजों में दर्शित प्रतिबद्धताओं का पालन, मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्य है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने निम्नलिखित दृष्टान्तों में अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया:

- ई एफ सी हेतु ज्ञापन पर व्यय-विभाग (वित्त मंत्रालय) के अवलोकनों (जून 2007) का उत्तर (जुलाई 2007) देते हुए मंत्रालय ने कहा:

(i) वस्त्र आयुक्त जो कि टप्स की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है, यह जाँचने के लिए कि टप्स संगत परियोजनाओं को ऋणों की स्वीकृति की गई है, एफ आई से मशीनों के सामान से संबंधित विवरण एक निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करती है। तथापि, रिकॉर्ड की जाँच के दौरान, लेखा परीक्षा ने पाया कि मंत्रालय/वस्त्र आयुक्त वस्त्र मशीनरी से संबंधित कोई सूचना नहीं रखता।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2015) कि इस संबंध में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तथापि मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2015) कि मशीनरी सम्बन्धी विवरण आई-टप्स नामक नए अभिक्रम में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(ii) टप्स संगत परियोजनाओं को ऋणों की स्वीकृति सुनिश्चित करने हेतु, योजना में आई एम एस सी और टी ए एम सी नामक निगरानी तंत्र मौजूद है। एफ आई पर नियंत्रण करने का इसके अतिरिक्त कोई तंत्र, आर.बी.आई और वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग के परामर्श से अभिकल्पित किये जाने की जरूरत है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त अवलोकन के अनुपालन के लिए, आई एम एस सी और टी ए एम सी के अलावा और कोई नियंत्रण तंत्र अभिकल्पित नहीं किया गया।

➤ एम-टप्स के जी आर के अनुसार, एफ आई को टप्स मामलों के तीव्र निपटान और लाभार्थी को राजसहायता जारी करने के लिए एक 'ऑनलाईन सिस्टम' को कार्यान्वित करना था।

इस संदर्भ में, मंत्रालय ने बताया (मार्च 2015) कि वर्ष 2008 में एफ आई द्वारा ऑकड़ों के ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण के लिए एक वैब आधारित सिस्टम रखा गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय स्टेट बैंक, जो कि टप्स के अन्तर्गत लगभग 30 प्रतिशत मामलों की देख-रेख कर रहा था, मार्च 2014 तक एम-टप्स के अन्तर्गत दावों को वस्त्र आयुक्त को ऑफलाईन प्रस्तुत करता रहा था।

3.3.5 आई एम एस सी की निगरानी की कमियाँ

➤ एम-टप्स के जी आर के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के दौरान आई एम एस सी को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार और प्रथम वर्ष के पश्चात् छमाही में एक बार या जब भी आवश्यक लगे बैठक करनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एम-टप्स के प्रचालन के 39 महीनों के दौरान आई एम एस सी की केवल दो बैठकें हुईं।

मंत्रालय ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2015) यह कहा कि क्योंकि जी आर नवम्बर 2007 में जारी हुआ था, योजना ने निवेश में वृद्धि के लिए कुछ समय लिया। अतः आई एम एस सी की प्रथम बैठक 19 जनवरी 2009 को हुई। क्योंकि एम-टप्स योजना

28 जून 2010 को बन्द हो गई, अधिक बैठकें करने के मामलों को उठाने के लिए और अधिक समय नहीं बचा था।

- एम-टफस के जी आर के अनुसार आई एम एस सी को योजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के मानक और एक उचित कार्यप्रणाली तैयार करनी थी। इस संबंध में मंत्रालय ने (मार्च 2015) कहा कि आई एम एस सी द्वारा कोई भी अलग से मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं।
- एम-टफस के जी आर में गारमेंटिंग पर बल देने हेतु योजना के दिशा निर्देशों में, कम्प्यूटर एडेड डिज़ाइन (सीएडी), कम्प्यूटर एडेड मैनुफैक्चरिंग (सीएएम) और डिज़ाइन स्टूडियो इत्यादि की मशीनरियों को एक अलग शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था जिनकी वित्तीय सीमा आई एम एस सी द्वारा तय की जानी थी। जी आर के अनुसार, टफस में भाग लेने वाली इकाईयों की संघ, ट्रस्ट या सहकारी समिति की सर्वनिष्ठ सुविधाओं में आवश्यक निवेश, टफस योग्य संयंत्र की लागत के 25 प्रतिशत तक निवेश, के योग्य थी जिसकी आर्थिक सीमा भी आई एम एस सी द्वारा तय की जानी थी।

आर्थिक सीमा के निर्धारण के संबंध में, मंत्रालय ने कहा (मार्च 2015) कि आई एम एस सी ने निर्णय लिया (19 जनवरी 2009 की बैठक में) कि अभी कोई आर्थिक सीमा नहीं लगाई जाएगी साथ ही यह निर्णय भी लिया कि इसकी समीक्षा बाद में की जा सकती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आई एम एस सी द्वारा कभी निर्णय का पुनरीक्षण नहीं किया गया और इस सन्दर्भ में कोई वित्तीय सीमा निश्चित नहीं की गई।

मंत्रालय ने आगे बताया (जुलाई 2015) कि उद्योग के किसी भी हिस्सेदार ने पुनरीक्षण का मामला नहीं उठाया होगा और इसलिए इसका पुनरीक्षण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि इन खंडों के अन्तर्गत अधिक प्रगति नहीं हुई थी।

मंत्रालय के जवाब पर इस तथ्य के समक्ष विचार करने की आवश्यकता है कि जी आर प्रावधान (सी सी ई ए द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर जारी किए गए) वित्तीय सीमा निर्धारित करने के लिए था और यह आई एम एस सी को वित्तीय सीमा के निर्धारण के निर्णय को स्थगित करने या निर्धारित न करने का विवेकाधिकार नहीं देता था।

3.3.6 टी ए एस सी की निगरानी की कमियाँ

- एम-टफस के जी आर के अनुसार, टी ए एस सी को योजना के कार्यान्वयन की सीमा और दिशा के बारे में आई एम एस सी को अवगत करवाते रहना था। साधारणतया, टी ए एस सी को प्रत्येक तिमाही में एक बार मिलना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एम-टफस के प्रचालन के 39 महीनों के दौरान 13 बैठकों के स्थान पर केवल 5 बैठकें आयोजित की गई।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2015) कि बहुत सम्भव था कि किसी प्रमुख / अत्यावश्यक मामले की अनुपस्थिति के कारण नियमित अन्तरालों पर बैठकें नहीं हो पाईं। क्योंकि एम-टफ्स जी आर, नवम्बर 2007 में जारी हुआ था, उद्योग ने योजना को समझने और कार्यान्वयन के लिए ऋण देने वाली एजेन्सियों के समक्ष प्रस्ताव रखने के लिए समय लिया। आगे, योजना 29 जून 2010 से बच्च कर दी गई। अतः टी ए एम सी की और बैठकें करवाने के लिए समय कम था।

- आर-टफ्स के जी आर के अनुसार, टी ए एम सी को विशेष रूप से लघु स्तर के वस्त्र उद्योग तथा जूट इकाईयों हेतु टफ्स के अधीन 15 प्रतिशत की दर पर एम एम एस की प्रगति की निगरानी करनी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न टी ए एम सी बैठकों के कार्यवृत्त ने लघु वस्त्र एवं जूट इकाईयों हेतु टफ्स के अधीन 15 प्रतिशत की दर पर एम एम एस की प्रगति की निगरानी को इंगित नहीं किया। मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2015) कि अपनी बैठकों में टफ्स की समग्र प्रगति का पुनरीक्षण करने के अलावा टी ए एम सी बैठकों में 15 प्रतिशत एम एम एस मामलों की प्रगति का भी अब पृथक रूप से पुनरीक्षण किया जा रहा है।

अनुशंसा:

6. मंत्रालय को अपने निगरानी तंत्र को सक्रिय करना चाहिए ताकि यदि आवश्यकता हो तो मध्यावधि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

अध्याय 4 – उपसंहार एवं अनुशंसाएँ

4.1 उपसंहार

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफस), वस्त्र मंत्रालय की एक पलैगशिप योजना, वर्ष 1999–2000 में वस्त्र उद्योग की मशीनरी के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति के माध्यम से सभी क्षेत्रों/खण्डों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रारम्भ की गई। तदनन्तर वर्ष 2007 (एम–टफस), 2011 (आर–टफस) एवं 2013 (आर आर–टफस) में योजना को परिवर्तित किया गया। 01 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2014, के दौरान मंत्रालय ने ₹ 18,580.45 करोड़ की राजसहायता टफस के अंतर्गत निर्मुक्त की।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफस) की निष्पादन लेखापरीक्षा ने उद्घाटित किया कि:

- किसी योजना के सूत्रीकरण के लिए समस्या के परिमाण को सम्बोधित करना योजना का मूल उद्देश्य है। योजना के मूल्यांकन के लिए संबंधित लक्ष्यों/तय मानदण्डों को चिन्हित किया जाना चाहिये। तथापि मंत्रालय में मशीनरी के अप्रचलन की समस्या के परिमाण, जिसे योजना के द्वारा संबोधित किया जाना था, को दर्शाने वाले कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। योजना के विभिन्न चरणों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मानदण्डों का स्तर और वास्तविक रूप से प्राप्त किए गए आधुनिकीकरण की मात्रा एवं डिग्री से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे।
- XI पंचवर्षीय योजना में ₹ 1,50,600 करोड़ के निवेश के लक्ष्य के विरुद्ध केवल ₹ 1,31,228 करोड़ के निवेश ही हो पाए। निवेश को आकर्षित करने में यह कमी वित्तीय आवंटन में ₹ 10,273 करोड़ से ₹ 15,404 करोड़ की वृद्धि के बावजूद थी।
- भविष्य की प्रतिबद्ध देनदारियों के लाभार्थी—वार एवं बैंक—वार ब्यौरे मंत्रालय के पास नहीं थे।
- कुल 22,998 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 3,231¹⁷ नमूने चुने जिनमें निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

¹⁷ हालांकि केवल 2,831 मामलों की लेखापरीक्षा की गई क्योंकि 400 मामलों के रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाये।

- (i) अयोग्य लाभार्थियों को राजसहायता प्रदान करना (129 मामलों में ₹ 46.96 करोड़);
 - (ii) अयोग्य निवेशों को राजसहायता प्रदान करना (193 मामलों में ₹ 52.87 करोड़);
 - (iii) लाभार्थियों को अधिक भुगतान (40 मामलों में ₹ 6.42 करोड़); तथा
 - (iv) लाभार्थियों के खातों में राजसहायता जमा करने में देरी (172 मामलों में 1 से 1509 दिनों की देरी)।
- टपस एक प्रतिपूर्ति योजना थी, तथापि वर्ष 2009–10 में, ₹ 121.45 करोड़ की राशि एफ आई द्वारा, ली गई राजसहायता की अधिकता के आधार पर या अयोग्य लाभार्थियों को अदा करने के आधार पर, लौटाई गई जो कि एफ आई द्वारा दावों की सही जाँच में कमी को दर्शाता है।
- एफ आई के कार्य की निगरानी मंत्रालय द्वारा कमजोर थी। निगरानी पूर्ण रूप से एफ आई के लेखापरीक्षा के संगठन और उसकी निगरानी तंत्र पर निर्भर थी।
- मंत्रालय में एफ आई के द्वारा उसके निर्देशों के पालन की जाँच करने का कोई तरीका नहीं था। वर्ष 2014 से पूर्व, जाँच के तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

4.2 अनुशंसाएँ

1. भविष्य में इस योजना की रूपरेखा तैयार करते समय मंत्रालय को उद्योग में अप्रचलन की समस्या के परिमाण का खण्ड—वार मूल्याकन करने का प्रयास करना चाहिये और प्राप्त किये जाने वाले मापदण्डों को स्थापित करना चाहिये।
2. मंत्रालय योजना की खण्ड—वार निगरानी पर विचार करे, जिससे प्रत्येक खण्ड की प्रगति पर पैनी नजर रखी जा सके।
3. मंत्रालय को लाभार्थी—वार प्रतिबद्ध देनदारियों का अपना डाटा रखना चाहिये।
4. मंत्रालय को भविष्य में उपरोक्त कार्यान्वयन संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए एफ आई को अपनी सम्यक उद्यम व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश देना चाहिए।

5. मंत्रालय को अपनी ओर से निरीक्षण कराने पर विचार करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एफ आई राजसहायता योग्य लाभार्थियों/निवेशों को देने हेतु आवश्यक सम्यक उदयम का पालन कर रहे हैं।
6. मंत्रालय को अपने निगरानी तंत्र को सक्रिय करना चाहिए ताकि यदि आवश्यकता हो तो मध्यावधि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

मा. ५२१०४।

दिनांक: 11 दिसम्बर 2015

स्थान: नई दिल्ली

(माला सिन्हा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

दिनांक: 14 दिसम्बर 2015

स्थान: नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नफ

अनुलग्नक 1

एम—टफ्स एवं आर—टफ्स की प्रमुख विशेषताएं (पैरा 1.2.5 में संदर्भित)

योजना की विशेषताएं	एम—टफ्स (01 अप्रैल 2007 से 28 जून 2010)	आर—टफ्स (28 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013)
ब्याज प्रतिपूर्ति (आई आर)	<ul style="list-style-type: none"> कताई के अलावा योग्य खंडों हेतु ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा लिए गये ब्याज पर 5 प्रतिशत का आई आर और कताई खंड हेतु 4 प्रतिशत का आई आर। 	<ul style="list-style-type: none"> ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा लिए गये ब्याज पर 5 प्रतिशत का आई आर; कताई मशीनरी की नई स्टैंड एलोन/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण हेतु 4 प्रतिशत का आई आर बुनाई/निटिंग/प्रोसेसिंग/गारमेंटिंग में उपयुक्त क्षमता के साथ कताई इकाईयों हेतु 5 प्रतिशत का आई आर।
पूँजी राजसहायता (सीएस) / मार्जिन मनी राजसहायता (एम एस)	<ul style="list-style-type: none"> 5 प्रतिशत आई आर के बदले में एस एस आई वस्त्र एवं जूट क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत एम एस बशर्ते कि ₹ 200 लाख की पूँजी सीमा तथा एम एस पर ₹ 15 लाख सीमा हो; लाभार्थियों से न्यूनतम 15 प्रतिशत इक्वीटी योगदान को सुनिश्चित किया जाना था; और हथकरघा उत्पादन इकाईयों के लिए करघे से पहले तथा करघे के बाद के संचालनों हेतु नई मशीनरी तथा उपकरणों की खरीददारी, हथकरघों/हथकरघों के उन्नयन तथा जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों पर 25 प्रतिशत सी एस। 	<ul style="list-style-type: none"> एस एस आई वस्त्र एवं जूट क्षेत्र को एक विकल्प—5 प्रतिशत आई आर के बदले में 15 प्रतिशत एम एस बशर्ते कि ₹ 500 लाख की पूँजी सीमा तथा एम एस पर ₹ 45 लाख की सीमा हो; लाभार्थियों से न्यूनतम 15 प्रतिशत इक्वीटी योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा; नवीनतम शट्लरहित करघों हेतु 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस; रेशम क्षेत्र की मानदण्ड मशीनरी पर 5 प्रतिशत आई आर के बदले में 25 प्रतिशत सी एस; और हथकरघा उत्पादन इकाईयों के लिए करघे से पहले तथा करघे के बाद के संचालनों हेतु नई मशीनरी तथा उपकरणों की खरीददारी, हथकरघों/हथकरघों के उन्नयन तथा जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों पर 5 प्रतिशत आई आर के बदले में 25 प्रतिशत सी एस।
मशीनरी का मूल्य निर्धारण	<ul style="list-style-type: none"> मशीनरियों के मूलभूत मूल्य पर आई आर/सी एस/एम एस तथा गैर—राजसहायता प्राप्त करो के लिए निर्णय को देखते हुए मूल्य निर्धारण के उद्देश्य हेतु कर घटक को सम्मिलित न करना। 	<ul style="list-style-type: none"> मशीनरियों के मूलभूत मूल्य पर आई आर/सी एस/एम एस तथा मूल्य निर्धारण के उद्देश्य हेतु कर घटक सम्मिलित न करना।

आई आर हेतु कट–ऑफ तिथि	<ul style="list-style-type: none"> योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कट–ऑफ तिथि स्वीकृति की तिथि थी तथा यदि इकाई के ऋण का एक भाग 31 मार्च 2007 से पहले स्वीकृत हो गया था तथा शेष भाग 31 मार्च 2007 के बाद हुआ था तो 31 मार्च 2007 से पहले स्वीकृत हुए भाग को पहले के टप्स के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना था और केवल वह भाग जो 31 मार्च 2007 के पश्चात् स्वीकृत हुआ था उसे एम–टप्स के अन्तर्गत शामिल किया जाना था। 	<ul style="list-style-type: none"> केवल वह ऋण जो कि 28 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक (योजना को आगे 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया) ऋण देने वाली एजेंसियों द्वारा स्वीकृत किये गए थे ही योजना के अंतर्गत लाभों के अनुदान हेतु विचार करने योग्य है; तथा आर–टप्स के अधीन चरण–वार विस्तार अनुमत होगा बशर्ते कि क्षमता के चरण–वार विस्तार के अन्तर्गत एकल परियोजना हेतु एकल ऋण प्रस्ताव के अन्तर्गत आर–टप्स ऋण को प्राप्त किया गया था।
भूमि तथा फैक्टरी भवनों आदि में निवेश	<ul style="list-style-type: none"> विद्यमान 50 प्रतिशत की सीमा के साथ वस्त्र क्षेत्र तथा हथकरघा हेतु किये गए निवेश के अलावा भूमि, फैक्टरी निर्माण, पूर्व–संचालन व्यय तथा कार्यकारी पूँजी हेतु मार्जिन मनी जैसे निवेश योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लाभ हेतु अयोग्य है। यदि वस्त्र इकाई अन्य गतिविधियों में सम्मिलित हैं, तो इस शीर्ष के अंतर्गत योग्य निवेश वस्त्र निर्माण हेतु योग्य संयंत्र एवं मशीनरी से संबंधित था। 	<ul style="list-style-type: none"> 50 प्रतिशत कैप सहित वस्त्र क्षेत्र एवं हथकरघा हेतु फैक्टरी निर्माण पूर्व–संचालन व्यय तथा कार्यकारी पूँजी हेतु मार्जिन मनी जैसे निवेश योजना के अधीन लाभ प्रतिपूर्ति हेतु योग्य थे। यदि वस्त्र इकाई/हथकरघा इकाई किसी अन्य गतिविधि में सम्मिलित है तो वस्त्र/हथकरघा निर्माण हेतु इस शीर्ष के अंतर्गत वांछनीय निवेश केवल योग्य संयंत्र एवं मशीनरी से ही संबंधित होगा।
अन्य निवेश	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा बचत यंत्र, एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट संयंत्र, कैपटिव ऊर्जा संयंत्र आदि (गैर–पारंपरिक स्रोतों को शामिल करते हुए) जैसे अन्य निवेश मशीनरी की लागत के केवल 25 प्रतिशत तक योजना के लाभों हेतु योग्य थे। 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा बचत यंत्रों, कैपटिव ऊर्जा संयंत्र एवं विद्युत स्थापनाएं आदि जैसे अन्य निवेश तथा समान एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट संयंत्र आर–टप्स के अंतर्गत योग्य नहीं थे।
सी.एस. को निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि	<ul style="list-style-type: none"> विशेष योग्य मशीन के लिए सी.एस की पात्रता को निर्धारित करने के लिए ऋण की स्वीकृति की तिथि के बजाय वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ की तिथि कट–ऑफ थी। वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत की तिथि को चार्टिड अभियंता और चार्टिड लेखाकार से प्रमाणित कराना था। 	<ul style="list-style-type: none"> मशीन लागत की मार्जिन मनी तक की अग्रिम/टोकन अदायगी आवधिक ऋण की स्वीकृति की तिथि से पहले इकाई द्वारा अदा किया जा सकता है। हालाँकि, आवधिक ऋण की स्वीकृति पर अथवा उसके पश्चात् खरीदी गई मशीनें योग्य हैं बशर्ते कि अन्य निबंधन एवं शर्तों को पूर्ण किया गया हो।
ऋणस्थगन	<ul style="list-style-type: none"> आई आर 10 साल के लिए, जिसमें दो साल कार्यान्वयन एवं ऋणस्थगन अवधि के थे, उपलब्ध थी। 	<ul style="list-style-type: none"> आई आर 7 साल के लिए थी, जिसमें कि 2 साल कार्यान्वयन/ऋणस्थगन के थे।

राजसहायता कैप	<ul style="list-style-type: none"> योजना में कोई कैप नहीं थी। 	<ul style="list-style-type: none"> 28 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक कुल राजसहायता कैप ₹ 1,972 करोड़ की थी, जिसमें से कताई के लिए खण्ड निवेश के शेयर 26 प्रतिशत, विविंग के लिए 13 प्रतिशत, प्रोसेसिंग के लिए 21 प्रतिशत, गारमेंटिंग के लिए 8 प्रतिशत और अन्य के लिए 32 प्रतिशत शामिल थी।
सैकण्ड हैंड मशीनें	<ul style="list-style-type: none"> स्वचालित शटल रहित करघे जिनका ₹ 8.00 लाख प्रति मशीन मूल्य कैप की और 10 साल पुरानी तथा जिनका अवशेष जीवनकाल कम से कम 10 साल था, के अलावा संपूर्ण श्रेणी की आयातित सैकंड हैंड मशीनें अयोग्य थे। 	<ul style="list-style-type: none"> केवल 10 वर्ष पुराने आयातित स्वचालित शटल रहित करघे शामिल हैं जिनका अवशेष जीवनकाल कम से कम 10 वर्षों का है। स्वचालित शटल रहित करघों का मूल्य कैप टी ए एम सी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
प्रोसेसिंग	<ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट मशीनों के लिए 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस। 	<ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट मशीनों के लिए 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस।
विद्युत करघे इकाइयाँ	<ul style="list-style-type: none"> विद्युत करघे इकाइयों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प—5 प्रतिशत आई आर के बदले 20 प्रतिशत एम एम एस बशर्ट कि पूँजी सीमा ₹ 200 लाख हो और एम एम एस पर सीमा ₹ 20 लाख हो; लाभार्थियों से एक न्यूनतम 15 प्रतिशत इक्विटी योगदान को सुनिश्चित करना था। 	<ul style="list-style-type: none"> विद्युत करघे इकाइयों तथा प्रीपेरट्री इकाइयों के लिए अतिरिक्त विकल्प जिसमें 5 प्रतिशत आई.आर. के स्थान पर 20 प्रतिशत एम एम एस बशर्ट कि पूँजी सीमा ₹ 500 लाख और एम एम एस की सीमा ₹ 60 लाख; नए शटलरहित करघे जिसमें एम एम एस की सीमा ₹ 1 करोड़ थी; और लाभार्थियों से कम से कम 15 प्रतिशत इक्विटी योगदान को सुनिश्चित करना था।
गारमेंटिंग	<ul style="list-style-type: none"> गारमेंटिंग को विशिष्ट बल देने लिए, सी ए डी, सी ए एम व डिजाइन स्टूडियों तथा इस प्रकार की मशीनों को वित्तीय कैप के सहित योजना के दिशानिर्देशों के पृथक शीर्ष में सम्मिलित किया गया है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय संचालन समिति (आई एम एस सी) द्वारा निर्धारित किया जाएगा; तथा विशिष्ट मशीनों के लिए 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस। 	<ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट मशीनों के लिए 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस।
तकनीकी वस्त्र	<ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट मशीनों के लिए 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस। 	<ul style="list-style-type: none"> विशिष्ट मशीनों के लिए 5 प्रतिशत आई आर के साथ 10 प्रतिशत सी एस।

अनुलग्नक 2

36 नामित नोडल बैंकों का विवरण (पैरा 1.4.3 में संदर्भित)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	क्रम संख्या	बैंक का नाम
1.	इलाहबाद बैंक	19.	आई एन जी वैश्य बैंक
2.	आंध्र बैंक	20.	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक
3.	एविसस बैंक	21.	कर्नाटक बैंक
4.	बैंक आफ बड़ौदा	22.	कर्कुर वैश्य बैंक
5.	बैंक आफ इंडिया	23.	लक्ष्मी विलास बैंक
6.	बैंक आफ महाराष्ट्र	24.	नैशनल कॉ-ऑपेरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी)
7.	कैनरा बैंक	25.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
8.	कैथोलिक सीरियन बैंक	26.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
9.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	27.	पंजाब नैशनल बैंक
10.	सिटी यूनियन बैंक	28.	राजस्थान राज्य इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन
11.	कॉरपोरेशन बैंक	29.	साउथ इंडियन बैंक
12.	देना बैंक	30.	भारतीय स्टेट बैंक
13.	एक्विजम बैंक	31.	सिंडीकेट बैंक
14.	फेडरल बैंक	32.	तमिलनाडू मर्कन्टाइल बैंक
15.	आई सी आई सी आई बैंक	33.	यूको बैंक
16.	इंडियन बैंक	34.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
17.	इंडियन ओवरसीज बैंक	35.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
18.	इंडसंइंड बैंक	36.	विजया बैंक

अनुलग्नक 3

अयोग्य लाभार्थियों के मामलों का राज्यवार सारांश (पैरा 3.2.1 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	4	257.05
2.	गुजरात	94	1,595.32
3.	मध्य प्रदेश	7	2,039.08
4.	महाराष्ट्र	16	163.21
5.	राजस्थान	5	599.88
6.	तमिलनाडु	3	41.79
	कुल	129	4,696.33

अनुलग्नक 4

अयोग्य निवेश के मामलों का राज्यवार सारांश (पैरा 3.2.2 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	33	408.11
2.	गुजरात	26	782.84
3.	मध्य प्रदेश	22	550.44
4.	महाराष्ट्र	84	3,386.69
5.	पंजाब	10	34.39
6.	राजस्थान	6	60.36
7.	तमिलनाडु	12	63.80
	कुल	193	5,286.63

अनुलग्नक 5

अधिक भुगतान के मामलों का राज्यवार सारांश (पैरा 3.2.3 में संदर्भित)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	8	77.52
2.	गुजरात	13	335.86
3.	मध्य प्रदेश	8	77.75
4.	महाराष्ट्र	1	0.58
5.	पंजाब	1	1.82
6.	राजस्थान	3	41.22
7.	तमिलनाडु	6	107.44
	कुल	40	642.19

अनुलग्नक 6

लाभार्थियों के खातों में राजसहायता जमा कराने में देरी का राज्यवार सांराश (पैरा 3.2.4 में संदर्भित)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मामलों की संख्या	विलंब दिनों में
1.	आंध्र प्रदेश	6	113–1017
2.	गुजरात	14	11–716
3.	मध्य प्रदेश	36	1–268
4.	महाराष्ट्र	4	657–785
5.	राजस्थान	14	4–1287
6.	तमिलनाडु	98	1–1509
	कुल	172	

अनुलग्नक 7

एफ आई द्वारा अवधारित अवितरित राजसहायता धनराशि का विवरण (पैरा 3.2.5 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्रम. संख्या	एफ आई के नाम	शाखा के नाम	प्राप्त राजसहायता की धनराशि	प्राप्ति की तिथि	परिव्यय की वास्तविक तिथि	राजसहायता को बैंकों द्वारा अवरोधन की मास (दिनों) की संख्या	टिप्पणियाँ
1	यूको बैंक	मिड कारपोरेट शाखा, अहमदाबाद	36.62	10.07.2012	31.01.2015	31 (933)	लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता बैंक द्वारा अपने पास रखी गई।
			39.83	04.10.2013	08.08.2014	10 (306)	
2	भारतीय स्टेट बैंक	एस एम ई सी सी सी ब्रांच, सूरत	15.00	12.04.2012	11.07.2014	27 (818)	लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता बैंक द्वारा अपने पास रखी गई।
3	पंजाब नेशनल बैंक	मुख्य शाखा, सूरत	178.22	18.03.2014	30.09.2014	7 (194)	लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता बैंक द्वारा अपने पास रखी गई।
4	भारतीय स्टेट बैंक	एम सी बी, सूरत	1.60	09.03.2013	02.04.2014	13 (387)	लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता बैंक द्वारा अपने पास रखी गई।
5	भारतीय स्टेट बैंक	लघु उद्योग शाखा, अहमदाबाद	36.69	31.03.2014	13.10.2014	7 (194)	लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता बैंक द्वारा अपने पास रखी गई।
6	बैंक आफ इंडिया	बाम्बे मार्केट, सूरत	14.71	13.10.2012	02.02.2015	28 (840)	शाखा द्वारा रखी गई लाभार्थियों की अवितरित राजसहायता को बैंक के टफस सेल को 02 फरवरी 2015 को वापस किया गया। राजसहायता धनराशि की (भारत सरकार को)
			2.29	16.10.2012	02.02.2015	28 (837)	
			13.80	02.11.2012	02.02.2015	27 (820)	
			78.86	22.12.2012	02.02.2015	26 (770)	

			3.55	07.03.2013	02.02.2015	23 (695)	वापसी स्थिति ज्ञात नहीं है।
			29.16	18.05.2013	02.02.2015	21 (623)	
7	दा वराचा को— आपेरेटिव लिमिटेड	सूरत मुख्य बैंक शाखा	13.42	05.10.2010	31.03.2012	18 (545)	बंद खातों की राजसहायता धनराशि को बैंक ने अपने पास रखा और प्राप्त ब्याज न तो लाभार्थियों को दिया गया और न ही सरकार को हस्तान्तरित किया गया।
			13.42	05.10.2010	28.12.2011	15 (451)	
	कुल		477.17				

अनुलग्नक 8

सूची-II में शामिल ब्लैक आउट अवधि से संबंधित मामलों का विवरण (पैरा 3.3.3. में संदर्भित)

क्रम संख्या	श्रेणी ¹	वित्तीय संस्थान का नाम	लाभार्थी का नाम	ऋण के अनुमोदन की तिथि
1.	ए	ओरियन्टल बैंक आफ कार्मस (स्टेट बैंक आफ इंडिया से अधिकार में ली गई)	महादेव यार्न प्राइवेट लिमिटेड [#]	04.08.2010
2.	ए	स्टेट बैंक आफ इंडिया (स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर के लिए एवं आईसीआईसीआई द्वारा अधिकार में ली गई)	रंजन पोलिस्टर लिमिटेड [#]	29.09.2010 (अवधि ऋण - ₹ 74 लाख)
3.	ए	स्टेट बैंक आफ इंडिया (स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर के लिए एवं आईसीआईसीआई द्वारा अधिकार में ली गई)	रंजन पोलिस्टर लिमिटेड [#]	29.09.2010 (अवधि ऋण - ₹ 180 लाख)
4.	ए	एचडीएफसी (यूनियन बैंक आफ इंडिया से अधिकार में लिया)	भागीरथी पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड [#]	12.10.2010
5.	ए	एचडीएफसी बैंक (पंजाब एंड सिध बैंक से अधिकार में लिया)	मान फीडस प्राइवेट लिमिटेड [#]	25.02.2011
6.	सी	आईडीबीआई	पित्रु आर्ट [#]	01.08.2010

¹आई एम एस सी द्वारा परिभाषित श्रेणियाँ:

ए—वे मामले जिनमें योग्यता निश्चित हो चुकी थी, दावे समय पर किए गए, व्याज प्रतिपूर्ति के लिए राजसहायता पहले ही जारी की गई, पूँजी राजसहायता जारी करना लम्बित था अथवा विपरीततया।

बी—वे मामले जिनमें योग्यता निश्चित हो चुकी थी, दावे समय पर किए गए, टफ्स राजसहायता की किसी किश्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ।

सी—वे मामले जो कार्यालय वस्त्र आयुक्त द्वारा आई एम एस सी की तीसरी बैठक दिनांक 11 नवम्बर 2012 से पहले ही माफ किए जा चुके थे।

डी—वे मामले जो वस्त्र आयुक्त की आतरिक समिति द्वारा, माफ किये गये लम्बित मामलों में से, मान्य किए गए।

ई—वे मामले जिनमें योग्यता निर्धारित की जा चुकी है परन्तु बैंकों के दावे प्रस्तुत नहीं किए गए।

एफ—वे मामले जिनमें योग्यता निश्चित की जा चुकी थी परन्तु दावे निर्धारित समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए।

मंत्रालय के जवाब के अनुसार, इन मामलों को पहले ही प्रतिबद्ध देनदारी की संशोधित सूची में अयोग्य घोषित किया जा चुका है।

[^]प्रतिबद्ध देनदारी की संशोधित सूची में ये मामले अभी भी योग्य दर्शाए जा रहे हैं।

7.	सी	आईडीबीआई	किंजल क्रीएशन [#]	02.11.2010
8.	सी	पंजाब एंड सिंध बैंक	अमर टेक्सटाइल [#]	19.12.2010
9.	ई	सिटी यूनियन बैंक	सनपैक [^]	06.07.2010
10.	ई	सिडबी	फैशन निट्स [#]	14.07.2010
11.	ई	सिडबी	ए.वी. एक्सपोर्ट्स [#]	06.09.2010
12.	ई	देना बैंक	देव कौटन इंडस्ट्रीज [^]	30.09.2010
13.	ई	पंजाब नेशनल बैंक	लक्ष्मी कौटसिन लिमिटेड [#]	13.10.2010
14.	ई	पंजाब नेशनल बैंक	लक्ष्मी कौटसिन लिमिटेड [^]	15.10.2010
15.	ई	एक्सेस बैंक (सिडबी से अधिकार में लिया)	सारा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड [#]	02.03.2011 (अवधि ऋण— ₹ 54लाख)
16.	ई	एक्सेस बैंक (सिडबी से अधिकार में लिया)	सारा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड [#]	02.03.2011 (अवधि ऋण— ₹ 43.70 लाख)
17.	ई	एक्सेस बैंक (सिडबी से अधिकार में लिया)	सारा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड [#]	02.03.2011 (अवधि ऋण— ₹ 44.19 लाख)
18.	ई	एक्सेस बैंक	सारा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड [#]	02.03.2011 (अवधि ऋण— ₹ 75 लाख)
19.	एफ	इंडसइंड बैंक	रायल इम्प्राओडिरी थ्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड [#]	10.03.2011

अनुलग्नक 9

सूची-II में सम्मिलित आर-टफ्स की अवधि के दौरान अनुमोदित मामलों का विवरण (पैरा 3.3.3 में संदर्भित)

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय संस्थान	लाभार्थी का नाम	अनुमोदन तिथि
1.	ई	कैथोलिक सिरियन बैंक	वर्टैक्स निट्स (15 प्रतिशत सीएस) [#]	03.06.2011
2.	ई	देना बैंक	काशीनाथ बी पुजारी [^]	01.05.2011
3.	ई	यूको बैंक	कलर्स मैच [^]	12.09.2011
4.	एफ	कैथोलिक सिरियन बैंक	गोमती स्पिनिंग मिल्स [#]	18.05.2011

मंत्रालय के जवाब के अनुसार, इन मामलों को पहले ही प्रतिबद्ध देनदारी की संशोधित सूची में अयोग्य घोषित किया जा चुका है।

[^]प्रतिबद्ध देनदारी की संशोधित सूची में ये मामले अभी भी योग्य दर्शाए जा रहे हैं।

संक्षेपाक्षर

संक्षेपाक्षर	पूर्ण रूप
सी ए डी	कम्प्यूटर सहायक रूपरेखा
सी ए एम	कम्प्यूटर सहायक निर्माण
सी सी ए	मुख्य लेखा नियंत्रक
सी सी ई ए	आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति
सी एस	पूंजी राजसहायता
ई एफ सी	व्यय वित्त समिति
एफ आई	वित्तीय संस्थाएँ
जी ओ आई	भारत सरकार
जी आर	सरकारी संकल्प
आई डी बी आई	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड़
आई एफ सी आई	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
आई एम एस सी	अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति
आई आर	ब्याज प्रतिपूर्ति
एम एम एस	मार्जिन मनी राजसहायता
एम-टफ्स	रूपान्तरित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
आर आर-टफ्स	संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
आर-टफ्स	पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
एस आई डी बी आई	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एस एस आई	लघु उद्योग
टी ए एम सी	तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति
टफ्स	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
टी एक्स सी	वस्त्र आयुक्त

© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in